

## नगर निगम शिमला

नगर निगम शिमला की वर्ष 2021-22 की पांचवीं साधारण बैठक दिनांक 28.08.2021 को अपराह्न 2:30 बजे बचत भवन में Physically व Video Conferencing के माध्यम से (on line and Off line both) हुई, के कार्यवृत्त ।

उपस्थित:

1.	श्रीमती सत्या कौण्डल	मा0 महापौर-सभापति
2.	श्री शैलेन्द्र चौहान	मा0 उप-महापौर
3.	श्रीमती तनुजा चौधरी	मा0 पार्षद
4.	श्री संजीव ठाकुर	मा0 पार्षद
5.	श्री सुनील धर	मा0 पार्षद
6.	श्रीमती कुसुम सदरेट	मा0 पार्षद
7.	श्रीमती शैली शर्मा	मा0 पार्षद
8.	श्री विवेक शर्मा	मा0 पार्षद
9.	श्री दिवाकर देव शर्मा	मा0 पार्षद
10.	श्रीमती किरन बावा	मा0 पार्षद
11.	श्री संजय परमार	मा0 पार्षद
12.	श्री आनंद कौशल	मा0 पार्षद
13.	श्रीमती सिमी नंदा	मा0 पार्षद
14.	श्री जगजीत सिंह बग्गा	मा0 पार्षद
15.	श्री बिट्टू कुमार	मा0 पार्षद
16.	श्रीमती सुषमा कुठियाला	मा0 पार्षद
17.	श्री इन्द्रजीत सिंह	मा0 पार्षद
18.	श्रीमती अर्चना धवन	मा0 पार्षद
19.	श्रीमती किमी सूद	मा0 पार्षद
20.	कु0 आरती चौहान	मा0 पार्षद
21.	श्रीमती कमलेश मैहता	मा0 पार्षद
22.	श्रीमती शारदा चौहान	मा0 पार्षद
23.	श्रीमती रिटा ठाकुर	मा0 पार्षद
24.	श्रीमती मीरा शर्मा	मा0 पार्षद
25.	श्री कुलदीप ठाकुर	मा0 पार्षद
26.	श्री राकेश कुमार शर्मा	मा0 पार्षद
27.	श्री राकेश चौहान	मा0 पार्षद
28.	कु0 विदूषी शर्मा	मा0 पार्षद
29.	श्रीमती रचना भारद्वाज	मा0 पार्षद
30.	श्रीमती रेनू चौहान	मा0 पार्षद
31.	श्रीमती आशा शर्मा	मा0 पार्षद
32.	कु0 कुसुम लता ठाकुर	मा0 पार्षद
33.	श्री पूरन मल	मा0 पार्षद
34.	श्रीमती बृज सूद	मा0 पार्षद
35.	श्री दीपक शर्मा	मा0 पार्षद(मनोनीत)
36.	श्री जसविन्द्र सिंह	मा0 पार्षद(मनोनीत)
37.	श्री लेख राज कौण्डल	मा0 पार्षद(मनोनीत)
38.	श्री राजेन्द्र चौहान	मा0 पार्षद(मनोनीत)

श्री आशीष कोहली, आयुक्त, नगर निगम शिमला !

*(Signature)*


1. कार्यवृत्तों की पुष्टि

नगर निगम, शिमला की वर्ष 2021-22 की चतुर्थ साधारण बैठक जो दिनांक 30.07.2021 को Physically व Video Conferencing के माध्यम से (on line and Off line both) बचत भवन में हुई, के कार्यवृत्तों की पुष्टि से पूर्व श्री सुनील धर, मा0 पार्षद ने कहा कि पिछले सदन की बैठक में गोल पहाडी का एक माह के अन्दर Re-tender करने बारे कहा गया था परन्तु वह tender अभी तक क्यों नहीं हुआ? अधिशाषी अभियन्ता, मार्ग एवं भवन विभाग ने सदन को अवगत करवाया कि अभी वहां पर कार्य चल रहा है उसके उपरान्त tender होगा और यह tender 20 दिनों के बाद हो जाएगा।

नगर निगम, शिमला की वर्ष 2021-22 की चतुर्थ साधारण बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टि की गई तथा सभापति द्वारा इन्हे हस्ताक्षरित किया गया।



आयुक्त,  
नगर निगम शिमला।



प्रश्न संख्या: 2(1)10

द्वारा : श्रीमती किमी सूद, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाएंगे कि जाखू फाईव बेंच के नजदीक डेढ़ वर्ष पूर्व ई0 शौचालय का निर्माण किया गया था जोकि तब से लेकर अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इस बारे अवगत करवाया जाए कि यह शौचालय शुरू क्यों नहीं किया गया और कब तक शौचालय शुरू होगा या नहीं? इसका पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	ई0 शौचालय का निर्माण स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत किया गया था। इस शौचालय का निर्माण प्रनिक एंटरप्राइजेज कम्पनी द्वारा किया गया था, इन शौचालयों की maintenance करने के लिए प्रनिक एंटरप्राइजेज कम्पनी द्वारा असमर्थता जताई गई है। अब इन शौचालयों को सुलभ इंटरनेशनल को चलाने के लिए दिया जा रहा है और इनकी maintenance भी सुलभ इंटरनेशनल द्वारा की जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर माननीय सदन की अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। सभी 6 ई0 शौचालय जो स्मार्ट सिटी के तहत प्रनिक एंटरप्राइजेज कंपनी द्वारा स्थापित किए गए थे उन्हें जल्द ही दुरुस्त करवा कर सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा।

श्रीमती किमी सूद, मा0 पार्षद ने उक्त प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस ई0 शौचालय को वहां से हटाया जाए और वहां पर Bio Toilet लगाया जाए या ई0 शौचालय को functional किया जाए क्यों कि जाखू फाईव बेंच के नजदीक डेढ़ वर्ष से ई0 शौचालय functional नहीं है। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि शहर में ई0 शौचालय इतने कामयाब व functional भी नहीं है। 6 ई0 शौचालयों को functional कर दिया जाएगा। क्योंकि ई0 शौचालयों में धन राशि भी अधिक लग चुकी है। यह ई0 शौचालय functional रहे इसके लिए वहां पर किसी व्यक्ति को बैठा दिया जाएगा। श्रीमती किमी सूद, मा0 पार्षद ने कहा कि सन्जौली में भी शौचालय को Maintain किया जाए। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि सभी शौचालय सुलभ को दिए हैं और उनके द्वारा इस शौचालय को भी Maintain किया जाएगा।

S/Conced

प्रश्न संख्या: 2(2)11

द्वारा : श्री सुनील धर, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाएंगे कि स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत निगम के समस्त वार्डों में कितनी-कितनी धन राशि विकास पर व्यय की गई है? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिए राशि रू0 30,21,56,254/- विभिन्न वार्डों में पार्किंग, पार्क, ई-टॉलेट और स्ट्रीट लाइट्स के लिए स्वीकृत किए गये हैं। इस राशि से अभी तक राशि रू0 2,07,54,938/- व्यय किये गए हैं। प्रॉजेक्ट वाईज विवरण अनुबन्ध-क पर संलग्न है।
ख)	वर्तमान में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत निगम के सभी वार्डों के कितने टैण्डर लगाए गए हैं और कितने कार्य के टैण्डर लगाए जाने अपेक्षित है? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	50 कार्यों के लिए टैण्डर लगाए गए हैं जिसमें से 3 कार्य पूर्ण किए गए हैं, 31 कार्य प्रगति पर है, 3 कार्य अवाई किए जा रहे हैं तथा 10 कार्य के लिए निविदायें आमंत्रित की गई है। इसके अतिरिक्त 2 कार्य के लिए फॉरेस्ट केस बनाये गए हैं। इस राशि से कार्यों का पूर्ण विवरण अनुबन्ध-ख, ग, घ पर संलग्न हैं।
ग)	यह भी अवगत करवाएँ कि स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य किए जा सकते हैं? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	The list of components as included under Shimla Smart City Proposal is attached as Annexure-A

श्री सुनील धर, मा0 पार्षद ने कहा कि स्मार्ट सिटी में Steel structure पर ही अधिक ध्यान क्यों दिया गया है? सूची में कैथू वार्ड के लिए जिम दर्शाया गया है जबकि मेरे वार्ड में जिम के लिए कोई site नहीं है इसलिए जो सूची दी गई है वह सही नहीं है। स्मार्ट सिटी के तहत मेरे वार्ड में कुछ भी नहीं है जो राशि announce होती है वह कहां जाती है। स्मार्ट सिटी के तहत मेरे वार्ड में टैण्डर लगा था बाद में उसे रद्द कर दिया गया। माल रोड़ में भी स्मार्ट कार्य नहीं हो रहे हैं सड़कों को खोदा जा रहा है और फिर वहां पर पैच लगा दिया जाता है। श्री आनंद कौशल, मा0 पार्षद ने कहा कि मेरे वार्ड में भी जिम के लिए site देखी गई थी वहां पर कुछ कार्य नहीं हुआ। मेरे वार्ड में स्मार्ट सिटी के तहत 30 लाख का टैण्डर लगा था और बाद में उसे रद्द कर दिया गया ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री पूरन मल, मा0 पार्षद ने कहा कि सभी वार्डों में विकास कार्य होने चाहिए। लो0नि0वि0 से स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य करवाए जा रहे हैं उनके लिए FRA के केस किस तरह से होते हैं। श्री राकेश कुमार शर्मा, मा0 पार्षद ने कहा कि मेरे वार्ड के कार्यों की फाईलें pending कर दी जाती है कार्यों में टाल-मटोल नहीं होनी चाहिए। श्री जगजीत सिंह बग्गा, मा0 पार्षद ने कहा कि मेरे वार्ड में जिम लगाया जाए। बस स्टैण्ड में जहां से नीचे शिक्षा निदेशालय को जाते हैं उस स्थान को भी स्मार्ट सिटी के तहत Develop किया जाए। श्री दिवाकर देव शर्मा, मा0 पार्षद ने कहा कि पैन सिटी में क्या काम हो सकते हैं? पूरे शहर की सोलर लाइटें खराब है। CCTV कैमरे की सुविधा स्मार्ट सिटी के तहत है या नहीं? श्री विवेक शर्मा, मा0 पार्षद ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट बस स्टैण्ड बनने थे जोकि इस सूची में नहीं है। अधिशाषी अभियन्ता, मार्ग एवं भवन विभाग ने सदन को अवगत करवाया कि सभी वार्डों में जिम के Equipments के लिए टैण्डर ऑन लाईन किया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत छोटे रोड़ों की वाईडनिंग नहीं होगी और यह निर्णय BOD की बैठक में लिया जाता है। अतिरिक्त

S. Daniel

आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि पैन सिटी में पार्क, जिम, parking with smart solution बननी हैं। connecting road से last mile connectivity है उसमें road widening का भी है। road of widening के कुछ टैण्डर भी हो चुके थे परन्तु उसे BOD की बैठक में उसे रद्द कर दिया था। वार्ड वार्डज कार्य नहीं होने हैं पूरे शहर को स्मार्ट करना है Smart Rain Shelter बनने हैं। स्ट्रीट लाईटों को भी स्मार्ट सिटी के तहत लिया गया है परन्तु इसमें एक-एक दो-दो टैण्डर नहीं हो सकते है जहां-जहां लाईटें लगनी है उसकी justification सहित एक बार ही सूची देनी होगी। स्मार्ट सिटी में CC TV कैमरे की सुविधा भी है। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि माO पार्षद जहां पर जिम suggest करें वहां पर ही लगाए जाएंगे। सभी वार्डों में जिम के लिए स्थान देखे जाएं और वहां पर जिम लगा दिए जाएंगे। स्मार्ट सिटी से काफी कार्य हो रहे हैं अच्छे सुझाव स्मार्ट सिटी के लिए भेज सकते हैं जिसे BOD की बैठक में रखा जा सकता है।

S. Candd

## Detail of Project being executed by M.C. Shimla under Shimla Smart City Mission.

Sr. No.	Name of Project	Sanctioned Amount (Rs.)	Awarded Amount (Rs.)	Expenditure (Rs.)	Remarks
1	C/O Car Parkings	205261500	154519783	9381481	कार्यों का विवरण अनुबन्ध-ख पर संलग्न है।
2	C/O Parks	394666600	14539376	4773457	कार्यों का विवरण अनुबन्ध-ग पर संलग्न है।
3	Installation of E-toilet	28800000	6600000	6600000	कार्यों का विवरण अनुबन्ध-घ पर संलग्न है।
4	Installation of street lights	28628154	--	0	Amount of Rs.2,86,28154/- has been deposited with HPSEBL for about 800 new street lights and 10 high mast lights in different wards of M.C. Shimla under Shimla Smart City Mission.
	Total	302156254	175659159	20754938	

11	C/O Channel Parking at Inder Nagar Divalii in ward No. 20	20-Dhalli	2000000	1694837	0	15	Nos	Work in progress
12	C/O Parking at Housing Board Colony in ward No. 24 Sangti	24-Sangti	2000000	2000000	0	20	Nos	Work in progress
13	C/O Parking near Baba Balak Nath Temple Sangti in ward No. 24	24-Sangti	4000000	3962451	0	24	Nos	Work in progress
14	Construction of parking/turning point New Flowerdale near T.R. Sharma House in ward No.25 Malyana	25-Malyana	2000000	1979300	0	19	Nos	Work in progress
15	C/O parking/widening of road village Bhakhrai near Meenu General Store in ward No.25	25-Malyana	2000000	1920075	0	24	Nos	Work in progress
16	C/O Car Parking near Thakur Niwas between Layak Ram & Sunder Singh Building Village Jakha in ward No.25	25-Malyana	1500000	1500000	0	16	Nos	Work in progress
17	C/O Steel Car Parking near S.D.A. Complex in ward No. 26	26-Panthaghati	1500000	1292195	0	12	Nos	Work in progress
18	C/O Car Parking at Parimahal chowk adjoining to rain shelter in ward No. 27 Kasumpti	27-Kasumpti	3820000	2655016	0	17	Nos	Work in progress
19	C/O Car parking near Hand Pump Bypass road Jiwnoo Colony, Phase-I (Balance work)	27-Kasumpti	4596000	4491921	4469451			Work Completed
20	C/O Car parking near Hand Pump Bypass road Jiwnoo Colony, Phase- II (Balance work)	27-Kasumpti	4917000	4682754	4912030	70	Nos	Work Completed
21	C/O Parking on the nallah at Sadhna Ghatti in ward No. 28	28-Chhotta Shimla	3000000	2135627	0	18	Nos	Work in progress
22	C/O Parking near PNB Bank SDA Complex Kasumpti in ward No. 28	28-Chhotta Shimla	1500000	1368928	0	14	Nos	Work in progress

Detail of Parks under Shimla Smart City Mission

Sr. No.	Name of work	Ward Number & name	Estimated cost (Rs.)	Awarded amount	Expenditure (Rs.)	Remarks
1	C/O park at Gol pahari (SH:- C/O Park Guard room and playing area etc.) in ward no. 4 Annadale Under Shimla Samrt City Mission.	4 (Annadale)	10979000	6962376	4773457	Work is in progress
2	C/O park at Nalagarh road near Hand pump in ward No. 7 Majiath (SH:-C/O Park P/F Playing instruments & open air GYM Equipments) under "Shimla Smart City Mission"	7 (Majiath)	1792400	0	0	Tender called, no bid received. Hence tender to be recalled.
3	C/O Park near Khanna Lodge at TutiKandi in ward no.10 (SH:-C/O Park P/F Playing instruments ) under "Shimla Smart City Mission"	10 (Tuti Kandi)	1394500	0	0	Tender called, no bid received. Hence tender to be recalled.
4	Face lifting of existing park at Rani-Jhansi Park	15 (Lower Bazar)	4985000	4985000	0	Work is in progress
5	Face lifting of existing park Below Ashiana Regency	15 (Lower Bazar)	2592000	2592000	0	Work is in progress
6	C/O park at Dakshin Vihar near Khanna House in ward No. 18 Engine Ghar (SH:-C/O Park P/F Playing instruments ) under "Shimla Smart City Mission"	18 (Engine Ghar)	890000	0	0	Tender called, no bid received. Hence tender to be recalled.
7	C/O Dada Dadi park at Inder Nagar near Jamalta House in ward No. 20 Dhalli (SH:-C/O Park P/F Playing instruments & open air GYM Equipments) under "Shimla Smart City Mission"	20 (Dhalli)	1609600	0	0	Work to be awarded
8	C/O Park below Thakur niwas in ward No. 25 under "Shimla Smart City Mission"	25 (Malyana)	1399800	0	0	Tender called, no bid received. Hence tender to be recalled.

## Detail of E-toilet works under Shimla Smart City Mission

Sr. No.	Name of work	Estimated cost (Rs.)	Awarded amount	Expenditure (Rs.)	Remarks
1	P/F Electronically operated Public Toilet for Ladies and Gents in M.C. Area Under Shimla Smart City Project	6600000	6600000	6600000	Completed
2	P/F 15 Nos additional E-toilets in various locations within MC Shimla	22200000	0	0	Tender to be called
	<b>Total</b>	<b>28800000</b>	<b>6600000</b>	<b>6600000</b>	

- 244 -

- 245 -

**Annexure-A**

**COMPONENTS INCLUDED UNDER SHIMLA SMART CITY PROPOSAL**

<b>Sr.No</b>	<b>Component</b>
<b>A.</b>	<b>REDEVELOPMENT</b>
	Rebuilding of infrastructure and Building, School & Hospital
1.	Development of Building Infrastructure
2.	Private Sector Development
3.	Government Building Development
4.	Hotel Development
5.	Commercial space Development
6.	Service Apartment Cost
7.	Water Supply, Sewerage, Drainage, & Duct, Rain Water Structure, Natural Spring
8.	Construction of Road & Footpath, Street Light
9.	Electricity, Optical Fiber & Telephone Cable
10.	Installation of Solar Panel
11.	Provision of Vending Area
12.	Provision of Open Spaces
13.	DDU-Hospital
14.	Govt. High School, Krishna Nagar
<b>B.</b>	<b>RETOFITTING</b>
	Improvement of critical Section etc. along main Roads
1.	Land Acquisition for Critical Section & Road Improvement
2.	Road Widening/ Improvement of Section, basic work of Bus Stop, Footpath, Duct etc.
3.	Booth of Traffic Police & LED Traffic Lights , High Mast light & Signage
4.	Grade Separator / Foot over Bridge
5.	Development of bus Stop with all facilities i.e toilet, kiosk etc.
6.	E-toilet at Bus Stop & Lifts/ Escalators
7.	Construction of Docks for pilot Bike Sharing at Bus Stop
8.	Construction of Lifts/Escalators for Vertical & horizontal Mobility
9.	Development of Vehicle Parking spread over city
10.	Development of Firefighting System including SCADA
11.	Laying electrical Cable in Duct
12.	Rehabilitation of Railway Area
13.	Re-Installation of Street Lights on Circular Road
14.	Constructing tunnel from Lift to Lakkar Bazaar
15.	Construction of Tunnel Parallel Dhalli Road
16.	Development of Old ISBT Planning Museum, SPV office & Railway Museum
17.	Retrofitting Area between Mall Road & Lower bazaar as heritage district
18.	Development of Natural springs (5No)
19.	Safe Shelter

*Signature*

प्रश्न संख्या: 2(3)12

द्वारा : श्री राकेश चौहान, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	<p>क्या आयुक्त महोदय बतलाएंगे कि शिमला शहर में आये दिन बन्दरों द्वारा लोगों को काटने के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं जिस बारे सदन को सरकार द्वारा कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था एवं हाल ही में चीते द्वारा भी एक आठ साल की लड़की को हमला कर मार दिया गया है। इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए वन मण्डलाधिकारी वन्य प्राणी को सदन में चर्चा के लिए आमन्त्रित किया जाए तथा अब तक विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई? इस बारे पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।</p>	<p>जहां तक बंदरों का सवाल है इस विषय में अवगत करवाया जाता है कि वन्य प्राणी वन मण्डल के अन्तर्गत बंदरों को पकड़ने की प्रक्रिया जारी है और पकड़े हुए बंदरों को नसबंदी करवाने हेतु उन्हें नसबंदी केन्द्र लाया जाता है तथा नसबंदी के उपरान्त उन्हें उसी स्थान पर छोड़ा जा है जहां से इन्हें पकड़ कर लाया जाता है। जिस कारण बन्दरों की संख्या में आये दिन कमी हुई है। इसके अतिरिक्त लोगों को ये भी अवगत करवाया जा रहा है कि बंदरों को किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री न दी जाए। इसके अतिरिक्त चीते द्वारा लड़की को मारे जाने बारे सूचना प्राप्त होने पर वन्य प्राणी वन मण्डल शिमला के कर्मचारियों द्वारा सर्च अभियान शुरू किया गया जिस दौरान कर्मचारियों द्वारा बच्ची के अवशेष बरामद किए गये। इस के अतिरिक्त चीते को पकड़ने के लिए उस जगह पिंजरे तथा कैमरा ट्रैप लगाये गये हैं। चीते को पकड़ने के लिए वन्य प्राणी वन मण्डल के कर्मचारी अभी भी उसी स्थान पर तेंदुए पर निगरानी बनाए रखने हेतु तैनात है जोकि दिन प्रतिदिन की सूचना से अवगत करवाते हैं।</p>

श्री राकेश चौहान, मा0 पार्षद ने कहा कि आय दिन बन्दर लोगों को काट रहे हैं इस बारे सम्बन्धित विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? परिमहल में पिंजरा लगाया गया और लगाने के बाद उसे वहीं छोड़ कर चले गए उसे कोई operate नहीं करता। बैठक में उपस्थित वन मण्डलाधिकारी वन्य प्राणी ने सदन को अवगत करवाया कि बन्दरों के काटने के मामले देखे जा रहे हैं। बन्दरों को पकड़ कर उनकी नसबन्दी की जाती है और उनको वहीं पर छोड़ा जाता है जहां से उन्हें पकड़ कर लाया गया है। जहां से कोई कॉल आता है वहां पर कर्मचारियों को भेज दिया जाता है। पूरे हिमाचल में बन्दरों को पकड़ने व उनकी नसबन्दी का कार्य चल रहा है। श्री विवेक शर्मा, मा0 पार्षद ने कहा कि जैसा हमारा HOD के साथ एक व्हट्सएप ग्रुप बना है उसी तरह से वन्यप्राणी विभाग के साथ भी एक व्हट्सएप ग्रुप बनाया जाए। आयुक्त ने VPHO को निर्देश दिए कि पार्षदों का इस प्रकार से एक व्हट्सएप ग्रुप बनाया जाए। मा0 महापौर ने कहा कि वन मण्डलाधिकारी वन्य प्राणी द्वारा सदन की अगली बैठक में बताया जाए कि किस-किस क्षेत्र में क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं।

S/Conrad

- 248 -

प्रश्न संख्या: 2(4)13

द्वारा : श्री राकेश कुमार शर्मा, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाएंगे कि नगर निगम शिमला के पार्षदों को कार्य करने के लिए डी0सी0 ऑफिस में जो उप-महापौर का पूराना कार्यालय था उसमें व्यवस्था की गई थी परन्तु इस कार्यालय में किसके आदेश से सोसाईटी के कर्मचारी बैठाये गए है? वर्तमान में पार्षदों के लिए बैठने की व्यवस्था कहां की गई है? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	महापौर और उप-महापौर के कार्यालय डी.सी. ऑफिस से टाउन हॉल भवन में स्थानान्तरित होने के पश्चात जिला प्रशासन द्वारा उक्त दोनों कार्यालय स्थानों को खाली करके उन्हें सौंपने हेतु निर्देश दिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप जिला प्रशासन द्वारा दिसम्बर, 2019 में महापौर के कार्यालय स्थान को कब्जे में ले लिया था। परन्तु उप-महापौर के कार्यालय के स्थान पर सैहब सोसाईटी कार्यालय को स्थापित करने के लिए तत्कालीन उपायुक्त से मौखिक तौर पर निवेदन किया गया था। उपायुक्त महोदय द्वारा सैहब सोसाईटी की उपयोगिता और सोसाईटी के विस्तृत स्टाफ को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था होने तक इस कार्यालय स्थल में सैहब सोसाईटी का कार्यालय स्थापित करने हेतु सहमति प्रदान की गई थी।

श्री राकेश कुमार शर्मा, मा0 पार्षद ने उक्त प्रश्न के उत्तर में कहा कि पार्षदों को बैठने के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है और न ही चतुर्थ श्रेणी का कोई स्टाफ दिया गया है जैसे कि पहले होता था। चर्चा के दौरान सभी पार्षदों ने कहा कि टाउन हॉल में उप-महापौर कार्यालय के बाहर पार्षदों को बैठने का स्थान उपलब्ध करवाया जाए। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस बारे में चर्चा नहीं की जा सकती है। अतिरिक्त आयुक्त (विधि) ने अवगत करवाया कि मामले में early hearing की application दे दी गई है।

S/9 anand

- 249 -

प्रश्न संख्या: 2(5)14

द्वारा : श्रीमती सिमी नंदा, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	A water tank under AMRUT is proposed to be built at Phagli, Nabha ward . When and to whom was the tender awarded for this project?	Work has been deleted from AMRUT and is being executed by SJPNL for which A/A & E/S accorded vide letter no. SJPNL/F&A Administrative Approved /2021-22-1076-80 dated 02-08-2021 by MD-cum-CEO, amounting to Rs. 80,70,500/- only and work awarded to Mr. Ankush Diwan R/O Singh Niwas North Oak, Sanjauli.
ख)	Why the work of this project delayed? When completion of the project expected.	In this regard Notices to commence work have been issued to contractor, He apprised that he will start/commence work after rainy season (Monsoons).

श्रीमती सिमी नंदा, मा0 पार्षद ने कहा कि SJPNL द्वारा खुदाई करवाई जाती है जिससे वहां पर मिट्टी के ढेर पड़े रहते हैं और बारिश होने के कारण मिट्टी से कलवट बन्द हो जाते हैं। श्री जगजीत सिंह बग्गा, मा0 पार्षद ने कहा कि फागली वाला रास्ता भी बन्द हो गया है ठेकेदार द्वारा इसे ठीक नहीं किया जा रहा है इस भी ठीक करवाया जाए। अतिरिक्त महा-प्रबन्धक SJPNL ने सदन को अवगत करवया कि जैसे ही बारिशें बन्द होती है कार्य करवा दिया जाएगा और रास्ते भी खोल दिए जाएंगे।



- 250 -

प्रश्न संख्या: 2(6)15

द्वारा : श्री राकेश चौहान, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	<p>क्या आयुक्त महोदय बतलाएंगे कि नगर निगम वार्डों का पुनः सीमांकरण किस आधार पर किया जा रहा है एवं गोरखू लॉज एवं एप्पल गार्डन कसुम्पटी के स्थानीय लोगों द्वारा आपको लिखित में सम्मिलित होने के लिए आवेदन दिए गये हैं उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? इसका पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।</p>	<p>नगर निगम शिमला के वार्डों का पुनः सीमांकन सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश के पत्र नं0 एस ई सी(एफ)2-3/2020-I-3803 दिनांक 31.05.2021 व प्रधान सचिव (शहरी विकास) के पत्र नं0. UD-A(1)1/2021 दिनांक 17.06.2021 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।</p> <p>गोरखू लॉज एवं एप्पल गार्डन कसुम्पटी को मल्याणा वार्ड से कसुम्पटी वार्ड में सम्मिलित करने बारे मामला नगर निगम की 6वीं साधारण बैठक दिनांक 29.09.2018 में पारित प्रस्ताव नं0 4(1)15 के अनुसरण में निदेशक (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार को इस कार्यालय पत्र क्रमांक: ननिशि/संयु.आ./4642/मु0/018-4224 दिनांक 12.11.2018 के द्वारा भेजा गया है।</p>

श्री राकेश चौहान, मा0 पार्षद ने कहा कि जो पंचायत के क्षेत्र नगर निगम में सम्मिलित होंगे वहां के लोगों को मकान के नक्शे दोबारा पास करवाने होंगे या नहीं और वहां पर पानी के कुनैक्शनों का क्या होगा? आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि delimitation का process जिलाधीश महोदय द्वारा किया जाता है। इसलिए वहां के लोग इस सम्बन्ध में जिलाधीश महोदय को ही आवेदन करें।

*Spander*

प्रश्न संख्या: 2(7)16

द्वारा : श्री राकेश कुमार शर्मा, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाएंगे कि नगर निगम शिमला के वार्ड नं0 26 में ब्रह्म कुमारी आश्रम के पास खाली जमीन में पार्षद कार्यालय बनाने के लिए 04.06.2019 को डिस्पेच नं0 ननिशि/उपमहापौर/2019-35 के माध्यम से अधिशाषी अभियन्ता को लिखित में दिया था, परन्तु अभी तक पार्षद कार्यालय बनाने के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है? इस स्थान पर पार्षद कार्यालय कब तक बनाया जाएगा व वर्तमान में इस स्थान पर क्या बनाया गया है? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	प्रश्न में वर्णित डी0ओ0 का समय-समय पर persue न किये जाने का कारण डायरी में वर्णित जानकारी के अनुसार तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता (जोकि अब स्थानान्तरित हो गया है) के पास लम्बित पड़ा रहा। ब्रह्म कुमारी आश्रम के पास जो जमीन खाली थी उस जगह पर नगर निगम द्वारा दुकानों और सुविधा केन्द्र का निर्माण नगर निगम की आय वृद्धि के लिए किया जा रहा है। जहां तक पार्षद कार्यालय के निर्माण का प्रश्न है उस विषय में यदि माननीय पार्षद कोई अविवादित स्थान देते हैं तो उस पर पार्षद कार्यालय के निर्माण बारे नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री राकेश कुमार शर्मा, मा0 पार्षद ने कहा कि 04.06.2019 को जो डी0ओ0 दिया गया था उस पर क्यों कार्यवाही नहीं हुई और कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा इसे दो साल तक स्थगित क्यों रखा गया, जो कागजात दिए जाते हैं उस पर क्यों कार्यवाही नहीं हाती है। वहां पर जो दुकाने बनी वह कैसे बनी व किस के कहने पर बनी। श्री राकेश चौहान, मा0 पार्षद ने कहा कि जिस जगह की बात मा0 पार्षद कर रहे हैं वह जगह ब्रह्म कुमारी आश्रम ने अपने कब्जे में ले रखी थी और वहां पर फैंसिंग लगाई गई थी पिकप यूनिथन द्वारा भी वहां पर अपना कार्यालय बनाया गया था जिसे वहां से हमारे द्वारा हटवाया गया। उस स्थान पर नगर निगम की आय बढ़ाने बारे दुकानों का निर्माण किया गया और लोगों की सुवधा के लिए वहां पर सुविधा केन्द्र बनाया जा रहा है। श्री राकेश कुमार शर्मा, मा0 पार्षद ने कहा कि यह मेरा वार्ड है और यहां पर दूसरे वार्ड के पार्षद द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि मा0 पार्षद के वार्ड में ऊपर की ओर जो पार्किंग बन रही है उसमें पार्षद कार्यालय की possibility explore की जाए।

*S. Kumar*

नगर निगम शिमला की वित्त, संविदा और योजना समिति की बैठक के विचारार्थ ज्ञापन

विभाग का नाम : सामान्य विभाग  
विभागाध्यक्ष : अतिरिक्त आयुक्त

3 (1)

**Request for issue of NOC for S-1AA Licence instead of S-11A Licence.**

नगर निगम शिमला की 10वीं साधारण बैठक के प्रस्ताव संख्या 3(10) के अनुसरण में श्री दीपक सूद के पक्ष में वुडरिना टुरिस्ट कम्पलैक्स, ढली, शिमला में शराब की बिक्री के लिए S-11A लाईसेंस लेने बारे नगर निगम शिमला की ओर से कार्यालय पत्र संख्या: MCS/JC/2625/Comm/2019-706 दिनांक 17.02.2020 द्वारा वांछित अनापति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया गया था।

श्री दीपक सूद, वुडरिना टुरिस्ट कम्पलैक्स, ढली, शिमला ने पत्र दिनांक 12.04.2021 के द्वारा अनुरोध किया गया है कि नगर निगम शिमला द्वारा जारी उक्त NOC में संशोधन करके उनके पक्ष में वुडरिना टुरिस्ट कम्पलैक्स, ढली, शिमला स्थित खसरा नं0 216 में retail sale of Sweet Wine/Cider हेतु S-11A के स्थान पर S-1AA लाईसेंस लेने बारे नगर निगम शिमला से संशोधित NOC जारी किया जाए।


अतः श्री दीपक सूद के पक्ष में वुडरिना टुरिस्ट कम्पलैक्स, ढली, शिमला में खसरा नम्बर 216 में retail sale of Sweet Wine/Cider के लिए S-1AA लाईसेंस लेने हेतु नगर निगम शिमला से वांछित अनापति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने बारे मामला वित्त, संविदा और योजना समिति की बैठक के विचारार्थ प्रस्तुत है।

  
आयुक्त

  
अतिरिक्त आयुक्त

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(1) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आबकारी एवं कराधान विभाग से इस मामले बारे detail में चर्चा व verification करके यह मामला मदन सम्मुख लाया जाए।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना पर निर्णय लिया गया कि norms के अनुसार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।



253

**MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION AND APPROVAL OF FC&PC MEETING/  
HON'BLE MC HOUSE**

3(2)

Name of Department: Project Cell

Head of Department: EE-cum-Project Director


**Subject:- Regarding the approval to release the salaries of daily wagers against Under (MMSAGY) through the Municipal Corporation head.**

With reference to the subject cited above, In this regard, the Government of Himachal Pradesh has notified the scheme know as Mukhya Mantri Shahri Ajeevika Guarantee Yojna (MMSAGY) Scheme vide no. UD-F(4)-2/2020 dated 16.05.2020 to enhance livelihood security in urban areas by providing 120 days of guaranteed wage employment to every household in a financial year 2020-21. In this regard, the adults in the family are eligible to register themselves with the Municipal Corporation as per eligibility criteria laid down in the guidelines of said Scheme.

Being an implementing agency Municipal Corporation Shimla established MMSAGY Cell vide office order no. MCS/MMSAGY/2020-1667 dated 01.06.2020 deputing EE-Cum -Project Director as Nodal Officer with Project Staff for implementation of the Scheme, registration of applications, issuing job cards to eligible urban unemployed applicants and providing them wage employment. In compliance to the above order MMSAGY Cell has registered/ issued the jobs cards to the urban unemployed.

In view of the above, PUC has been received from the Director (UD) vide letter no. UD-H(F)Miso-MMSAGY-II-9970-10034 dated 20.04.2021 informing that the scheme has not been stopped and has been budgeted for the year 2021-2022. Hence, all the Urban Local Bodies are advised to continue the engagement of people for providing livelihood security for 120 days of guarantee wage employment to every household under MMSAGY scheme as per Guidelines for which the funds will be released to the ULBs as per the actual expenditure incurred on wage employment under the Scheme. In this regard, till dated 420 people have been engaged under MMSAGY scheme of MC Shimla. Further the letter has already been sent to the Director Urban Development Department for releasing the expenditure incurred under the guarantee wage employment. However, to this date the expenditure amount has not been received by Municipal Corporation Shimla, so till the time funds are received from the state Government salaries are being are paid from the exchequer of the Municipal Corporation Shimla. In this connection it is being submitted that till dated Municipal Corporation Shimla has released the amount Rs. 82,74,200/- for 30,008 manday of unskilled works under MMSAGY. Furthermore, the Hon'ble House is apprised that ramming amount of Rs.66 lacs (approximate) will be utilized as wages from the Municipal Corporation Shimla exchequer.

Hence, keeping in view the above facts, matter is placed before FC&PC/ MC House for consideration and approval to release the salaries of daily wagers through the Municipal Corporation head till the amount is received from the Urban Development.


  
Additional Commissioner,  
Municipal Corporation Shimla

  
EE-cum-Project Director,  
Municipal Corporation Shimla

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(2) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।



- 254 -

नगर निगम शिमला की वित संविदा एवं योजना समिति के विचारार्थ ज्ञापन:

3(3)

विभाग का नाम:-

सम्पदा शाखा

विभागाध्यक्ष का नाम:-


अतिरिक्त आयुक्त

एन0वी0एम0 स्टॉल न0. 9 सब्जी मण्डी, शिमला के स्थानांतरण बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा वर्ष 2008 में एन0वी0एम0 स्टॉल न0. 9 सब्जी मण्डी, शिमला का आंबटन किया गया था। उपरोक्त स्टॉल का आंबटन भूतपूर्व सैनिक आरक्षित कोटे से दी गई थी। इस स्टॉल में आंबटन के समय से ही कोई भी व्यवसाय नहीं किया जा रहा है। क्योंकि आंबटित स्टॉल निर्मित किये गये स्टॉलों के किनारे पर है। जहाँ पर दरवाजे के लिए भी कोई उपयोक्त जगह नहीं है न ही इस स्टॉल में किसी भी प्रकार का व्यवसाय चल रहा है। इस सन्दर्भ में आवेदनकर्ता द्वारा बार-बार स्टॉल को अन्य स्थान पर बदलने बारे आग्रह किया जा रहा है। आंबटी द्वारा स्टॉल के स्थानांतरण बारे माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। न्यायालय द्वारा भी आंबटित स्टॉल को स्थानांतरण करने बारे नगर निगम शिमला को विचार करने बारे कहा गया है। श्रीमती सत्या देवी द्वारा सब्जी मण्डी सदर थाना के नजदीक स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत निर्मित किये जा रहे स्टॉलों के साथ आंबटन की माँग की गई है। इस क्षेत्र में आंबटित स्टॉलों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त स्टॉल निर्मित किया जा रहा है। आंबटी द्वारा किराये का भुगतान नियमानुसार किया जा रहा है। जिस स्थान पर उपरोक्त स्टॉल का आंबटन किया गया है। उस स्थान के सभी स्टॉलों को स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत पूनः निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार एन0वी0एम0 स्टॉल सब्जी मण्डी शिमला का स्थानांतरण सब्जी मण्डी सदर थाना के नजदीक निर्मित किये जा रहे स्टॉलों के अतिरिक्त निर्मित किया जा रहा स्टॉल का आंबटन करने बारे मामला वित संविदा एवं योजना समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।


  
आयुक्त

  
अतिरिक्त आयुक्त

वित संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(3) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि एन0वी0एम0 स्टॉल सब्जी मण्डी शिमला को स्मार्ट सिटी के तहत Renovaic किया जाए, इस स्टॉल के लिए उचित रास्ता भी हो तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मामले को Re-examine भी कर लिया जाए।

अतः मामला सदन मम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।



- 255 -

नगर निगम शिमला की वित संविदा एवं योजना समिति के विचारार्थ ज्ञापन।


3(4) -

विभाग का नाम:- संपदा शाखा।

विभागाध्यक्ष:- अतिरिक्त आयुक्त।

Transfer of land for construction of office of Commandant,  
Home Guard, 2<sup>nd</sup> Battalion, Shimla- Issue of NOC.

उंपरोक्त मामले में अवगत करवाया जाता है कि नगर निगम शिमला की साधारण बैठक के प्रस्ताव संख्या: 3(1) दिनांक 28.09.2020 द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, आदेशक, गृह रक्षा, द्वितीय वाहिनी, शिमला-2 के पक्ष में उप-महाल कैलैस्टन में खसरा नं० 159/1 रक्बा 2250 वर्ग मीटर भूमि पर कार्यालय, स्टोर व पार्किंग निर्माण के लिए स्थानानंतरित करने हेतू पत्र संख्या: MCS/Addl./C./1688/Mu./2020-3560 दिनांक 26.10.2020 द्वारा वांछित अनापति प्रमाण पत्र, भूमि को लीज आधार पर उपलब्ध करवाने की शर्त के साथ जारी किया गया था। जिस पर आदेशक, गृह रक्षा द्वितीय वाहिनी शिमला-2 के पत्र दिनांक 18.02.2021 सम्बन्धित भूमि की लीज राशि व अन्य औपचारिकताओं बारे अवगत करवाने का आग्रह किया। यथानुसार राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 की अधिसूचित वार्षिक दर के अनुसार उक्त भूमि की लीज राशि रु० 36,86,850/- वार्षिक (छत्तीस लाख छ्यासी हजार आठ सौ पचास) केवल माल व सेवाकर अतिरिक्त बनती है। किन्तु इस बारे सम्बन्धित विभाग को अवगत करवाने से पहले ही, अतिरिक्त आदेशक गृह रक्षा द्वितीय वाहिनी, शिमला से पत्र संख्या: HOM(HC)BN-II(G)(I)-7/2009-3287 दिनांक 09.08.2021 प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अवगत करवाया है कि उनके द्वारा कार्यालय खलिनी में एक प्राइवेट भवन में चलाया जा रहा है व स्टोर के लिए अनाडेल में प्राइवेट भवन में स्थान ले रखा है तथा विभागीय वाहन को पार्किंग हेतू स्थान उपलब्ध न होने के कारण विभागीय Quick Response Vehicle (QRV) को अग्नि प्रशिक्षण केन्द्र बलदेयां, शिमला जो यहाँ से 20 कि०मी० की दूरी पर स्थित है में पार्क किये जाते हैं तथा आपात काल में किसी भी स्थिति में कार्यवाही करने पर बचाव




उपकरण, स्टॉफ वाहन इत्यादि को इकट्ठा करने में अधिक समय लगने के कारण प्रशासन को सहयोग करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इस भूमि स्थानांतरण के लिए बिना शर्त एन.ओ.सी. जारी किया जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत किया जाता है कि हि0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 157 (a) में निगम सम्पत्ति की disposal बारे निम्न प्रावधान है:-

“(a) The commissioner, with the prior approval of the Standing Committee, Constituted under sub-section(4) of section 40 of the Act, may dispose off, by sale, lease or otherwise, any moveable or immovable properties belonging to the Corporation, by public auction, except such movable and immovable properties which is to be given on lease or otherwise, to the Government Departments, Boards or Corporations for public utility.”

अतः उपरोक्त को मध्यनजर रखते हुए, गृह रक्षा विभाग से प्राप्त पत्र पर वर्णित तथ्यों के आधार पर, उप महाल कलैस्टन शिमला को खसरा न0. 159/1 में स्थित 2250 वर्ग मीटर भूमि आदेशक, गृह रक्षा, द्वितीय वाहिनी, शिमला के पक्ष में स्थानांतरित करने बारे नगर निगम शिमला की ओर से बिना शर्त, निशुल्क अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे मामला माननीय वित्त, संविदा और योजना समिति के समक्ष पुनः विचार हेतु प्रस्तुत है।


  
आयुक्त

  
अतिरिक्त आयुक्त

उक्त मद पर चर्चा के दौरान श्री दिवाकर देव शर्मा व श्रीमती सिमी नंदा, मा0 पार्षदों ने कहा कि लीज राशि को कम न किया जाए। श्री विवेक शर्मा, मा0 पार्षद ने कहा कि यह भूमि आदेशक, गृह रक्षा, द्वितीय वाहिनी शिमला को exchange में दी जानी चाहिए। श्री पूरन मल, मा0 पार्षद ने कहा कि आदेशक, गृह रक्षा, द्वितीय वाहिनी शिमला को यह भूमि स्थानांतरित करने बारे बिना शर्त, निःशुल्क अनापति प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए।

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(4) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि यह मामला चर्चा हेतु मदन मम्मुख लाया जाए।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना पर निर्णय लिया गया कि उप-महाल कलैस्टन शिमला को खसरा नं0 159/1 में स्थित 2250 वर्ग मीटर भूमि को लीज पर दिया जाए।



-257-

नगर निगम शिमला की वित्त संविदा एवं योजना समिति बैठक के विचारार्थ ज्ञापन।

3(5)

विभाग का नाम:

सम्पदा शाखा


विभागाध्यक्ष का नाम:

अतिरिक्त आयुक्त

**Regarding Release MC Share From The Newly Constructed Lift, Cart Road Shimla.**

उपरोक्त विषय पर प्रवन्ध निदेशक हि0प्र0 टूरिजम विकास निगम-लि0 से पत्र संख्या op-1/1- Lift-TDC दिनांक 23.06.2021 प्राप्त हुआ है। जो की अनुबन्ध (क) पर संलग्न है। उक्त पत्र में सम्बन्धित विभाग द्वारा अवगत करवाया है कि विषयगत मामले में सचिव (पर्यटन व नागरिक) HPTDC के दिशानिर्देशानुसार सम्बन्धित मामले में दोनों संगठनों के हितों को ध्यान में रखते हुए मामले का निपटारा किया जाये तथा उन्होंने यह भी अवगत किया है कि रिकार्ड के अनुसार निगम के साथ हुये ऐसी किसी भी इकरारनामा/सहमती नहीं हुई है। जिस बारे निगम द्वारा लिफ्ट से प्राप्त कुल आय का 30 प्रतिशत शेयर राशि का दावा किया जा रहा है। विभाग द्वारा अवगत करवाया गया है कि हि0प्र0 पर्यटन विकास निगम एक व्यवसायिक संगठन है। बिना किसी व्यवसायिक लाभ के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए सम्बन्धित लिफ्ट से प्रति व्यक्ति मात्र 10/- रु0 शुल्क लिया जा रहा है। अत्याधिक भीड़ के कारण सम्बन्धित लिफ्ट में लोग विभिन्न लिफ्ट में आते जाते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप कितने लोग पुरानी लिफ्ट व नई लिफ्ट में आते-जाते हैं। जिस कारण नई निर्मित लिफ्ट से समुचित आय का सही ढंग से आंकलन करना असंभव है। उक्त को मध्यनजर रखते हुये कुल आय का अलग-अलग से ब्यौरा इक्ट्टा करने में असुविधा हो रही है। सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त मामलों में हर तरह से विचार करने के उपरान्त दोनों संगठनों के हित को ध्यान में रखते हुये उक्त भूमि को राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित बाजारी कीमत के आधार पर क्रय करने का आग्रह किया गया है।


इस सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है हि0प्र0 पर्यटन विकास निगम द्वारा कार्ट रोड स्थित खसरा न0. 58 स्टेशन वार्ड शिमला में रकबा 107-90 वर्ग मी0 भूमि जिसमें हि0प्र0 सरकार मालिक कब्जा नगर निगम शिमला दर्ज है। निगम प्रस्ताव 3 (13) दिनांक 23.08.2016 के अन्तर्गत जारी अनापति प्रमाण पत्र की शर्त अनुसार कुल आय का 30 प्रतिशत शेयर नगर निगम शिमला को देने का निर्णय हुआ है। सम्बन्धित लिफ्ट का संचालन 07.12.2018 से किया जा रहा है। उक्त भूमि की राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित वार्षिक वृत्त दर अनुसार कुल कीमत 7,49,141/- रु0 वार्षिक (सात लाख उन्नचास हजार एक सौ इक्तालीस रुपये) बनती है।



इस सम्बन्ध में अवगत किया जाता है कि हि०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 157 (a) में निगम सम्पत्ति की disposal बारे निम्न प्रावधान है:-

“(a) The commissioner, with the prior approval of the Standing Committee, Constituted under sub-section(4) of section 40 of the Act, may dispose off, by sale, lease or otherwise, any moveable or immoveable properties belonging to the Corporation, by public auction, except such movable and immovable properties which is to be given on lease or otherwise, to the Government Departments, Boards or Corporations for public utility.”

अतः सम्बन्धित विभाग से प्राप्त पत्र को मध्यनजर रखते हुये उप महाल यू०एस० क्लब, शिमला को खसरा न०. 58 में स्थित 107.49 वर्ग मीटर भूमि प्रबन्धक निदेशक हि०प्र० पर्यटन विकास निगम लि०, शिमला से सम्बन्धित भूमि बारे मामला वित्त, संविदा एवं योजना समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।




आयुक्त

अतिरिक्त आयुक्त

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(5) HPTDC की प्रस्तावना पर चर्चा की गई। क्योंकि MC ने बहुमुल्य भूमि HPTDC को इस आधार पर उपलब्ध करवाई थी कि HPTDC agreement के अनुसार कुल आमदन का 30% भाग MC को देगी। पूर्व में इस भूमि पर कार पार्किंग थी जिससे की नगर निगम को लाखों रू० की आय होती थी। विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा HPTDC की प्रस्तावना को अस्वीकार (Reject) किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि नई व पुरानी दोनों लिफ्टों से 30% शेयर लिया जाए और 30% शेयर की जो राशि प्राप्त नहीं हो रही है उस राशि को प्राप्त करने बारे भी आगामी कार्यवाही की जाए।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।



-1- 200-35- 207-



HIMACHAL PRADESH TOURISM DEVELOPMENT COR  
RITZ ANNEXE, SHIMLA-171001  
Tel. No: (0177) 2652704-06 Email: [administrative@hptdc.in](mailto:administrative@hptdc.in)  
Website: [www.hptdc.in](http://www.hptdc.in)



File No. OP-1/1-LIFT-TDC Date: 23/06/2021

**IMPORTANT**

To  
The Commissioner,  
Municipal Corporation,  
Shimla.

1907/3/2  
25/6/21

**Sub.: Regarding release of M.C. share from the newly constructed Lift, Cart Road, Shimla.**

(Cn)	Stia
EDC	
(S&M)	
(WDD)	
HO	
(R&B)	
AD	
AO	
GM AP	
Commissioner	

Please refer to your letter No. MCS/Addl./Comm./SE/822/Mu./21-554 dated 21.06.2021 on the subject cited above. In this regard, it is reiterated that there exist no such consent/agreement in the record of HPTDC which justify your claim nor this Corporation had made any implicit commitment in the past. Notwithstanding this fact, this important issue was specifically placed before the Board of Directors (BOD) of HPTDC in its meeting held on 29.12.2020 chaired by the Hon'ble Chief Minister which authorized the Secretary (Tourism & CA) to the Govt. of HP to resolve the same on mutually agreed term basis with your Corporation. Subsequently, on the directions of Secretary (Tourism & CA) as you know that an important meeting under his chairmanship was held on 18.02.2021 which was attended by you as well as an authorized officer of HPTDC to explore the possibility to amicably settle this pending issue.

25/06/2021

In pursuance to the decision of the BOD of this Corporation & thereupon the directions of Secretary (Tourism & CA), HPTDC has come forward with feasible intention & willing to amicably settle the issue soon to safeguard the interests of both the Organizations. It is notable that the ADB authorities have spent a huge amount of Rs. 5,87,16,408/- on the construction of this new Lift as intimated by the Project Manager, HPTDB, Deptt. of Tourism & Civil Aviation, U.S. Club, Shimla.

The HPTDC despite of being a Commercial Organization is operating the above Lift since December, 2018 without any intention of gaining commercial benefit by charging a nominal amount of Rs. 10/- per person to facilitate the public in a convenient & affordable manner. You would agree that this Corporation has even overlooked its

Handwritten notes and signatures on the left margin, including 'AC' and '26/6/21'.

Skander

Contd - 2 - -

- 2 - 36 = 260 -

ongoing financial crisis arisen from the spread of pandemic Covid-19 in public interest in this behalf.

It is also pertinent to mention here that the lift passengers are diverted to various lifts according to the volume of rush & as a result of this diversion, it is difficult to segregate the number of persons travelled between new and old lifts thereby to properly assess the exact income figures from new Lift. Considering the prime location of the new Lift, there remains good inflow of passengers which significantly increases in peak tourist season & hence it may not even ultimately turn-out to be practicable to segregate the income figures as per your claim.

Keeping in view the aforesaid facts including the difficulty in the segregation of income figures clarified in the preceding para, as discussed in the meeting referred above, HPTDC after working-out on every aspect of the issue has come-up with clear-cut intention to amicably settle the case in one go in the interests of both the Organizations & hence offers to purchase the piece of land having Khasra No. 58 measuring 107.45 Sq.mtr. of your Corporation which was utilized for the construction of new Lift in accordance with it's market value as per Revenue Act, 2013 & again request you to look into the matter & send the consent of your Corporation in this behalf to this Corporation.

Yours faithfully,



**MANAGING DIRECTOR**


Enst. No. OP-1/1-LIFT-TDC

Copy to:-

Dated:- 17

Secretary (Tourism) to the Govt. of HP, Shimla for information please.

  
**MANAGING DIRECTOR**



- 261 -

**MEMORANDUM FOR THE MEETING OF M.C HOUSE.**

Name of Deptt.- Tax Branch

H.O.D - Ajit Bhardwaj


3 (6)

**Regarding Factor value of the properties built up in 2021 and beyond.**

There is provision u/s 88 of the HPMC Act, 1994 for the determination of rateable value lands & buildings assessable to taxes which is also reproduced as under:-

"88. Determination of rateable of lands and buildings assessable to taxes- The rateable value of lands and buildings assessable to taxes specified in section 86 shall be-

- (a) In the case of land, the rateable value shall be based upon per sq. mtr. of the actual area of land multiplied by the unit area rate of tax and relevant factors prescribed for the particular zone and in the case of building, the rateable value shall be based upon per sq. mtr. of plinth area multiplied by unit area rate of tax and relevant factor prescribed for the particular zone.
- (b) For levy of tax on lands and buildings, the entire municipal area shall be divided in different zones and each zone shall have relevant factors having different values.
- (c) For the purpose of determination of unit area tax, there shall be five factors i.e (i) location, (ii) occupancy, (iii) Age of building, (iv) use of building, (v) type of structure. Each factor shall have different value for different zone as may be determined by the Corporation, from time to time.
- (d) The mode for levy of calculation and assessment of tax as per provision of this act, which relates to the classification, usage of the buildings or apportionment of buildings or vacant land and open spaces forming part of the land and building shall be prescribed by the bye-laws."



262

It is pertinent to mention here that there is provision in the Property Taxation Bye law 2015 for calculating Tax factor by age factor, age wise grouping and value of the building (f3) which is reproduced as under:-

Group		Factor value
A	Before 1947	1.50
B	1947 to 1980	3.00
C	1981 to 2000	4.00
D	2001 and beyond	5.00

The Municipal Corporation Shimla has limited financial resources and Property Tax after 2014-15 has also been reduced unexpectedly. To strengthen the financial position of Municipal Corporation Shimla it is proposed the factor value of the properties built up in 2021 and beyond as per detail given below:-

Group		Factor value	Remarks
A	Before 1947	1.50	Existing value
B	1947 to 1980	3.00	Existing value
C	1981 to 2000	4.00	Existing value
D	2001 to 2020	5.00	Existing value
E	2021 and beyond	6.00	Proposed value

The proposed factor value shall increase the Property Tax amounting to Rs. 20 Lakh PA. Since there is provision u/s 88 (c) mentioned above for the determination of factor value by the Corporation from time to time, therefore, the memorandum is placed before the M.C House for consideration and approval please.

  
Additional Commissioner


  
Assistant Secretary Tax

उक्त मद पर चर्चा के दौरान श्रीमती सिमी नंदा, मा10 पार्षद ने इस मामले में अपना विरोध दर्ज करवाया।

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(6) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई और यह भी निर्णय लिया गया कि वर्ष 2021 से जो प्रॉपर्टी सैस होगी व जिनकी नई आई0डी0 बनेगी उन पर ही यह Factor Value लागू होगी।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।



Name of Department: Health Department  
Head of Department: Dr. Chetan Chauhan

3(7)


**Subject: Regarding major/minor repair of E-Toilets/I-Toilets.**


The work of Operation and Maintenance of Public/Community/E-Toilets and Bio-toilets was awarded to M/s Sulabh International Social Service Organization, which is a reputed NGO working throughout the country in the field of Operation and Maintenance of PT/CT after approval of Hon'ble MC House vide resolution no. 3(20) dated 28.01.2021.

The 6 nos. (12 units) of E-toilets/I-Toilets i.e. (i) Ritz (ii) Old Bus Stand (iii) Power House, Totu (iv) Bus Stop, Talland (v) Bus Stop, Vikas Nagar (vi) Five benches, Jakhu was installed under Smart City Project which are non-functional presently and requires some minor/major repair for which proposal/estimate was submitted by Sulabh International Social Service Organization amounting to Rs. 2,50,833/- (Two Lakhs fifty Thousand Eight Hundred and Thirty Three only) to be payable in advance to make the E-toilets/I-toilet functional.

In view of above, it is proposed that major/ minor repair works of e-toilets/I-Toilets shall be handed over to Sulabh International Social Service Organization in coordination with concerned Sanitary Inspectors and JEs (R&B) and approved the proposal/estimate amounting to Rs. 2,50,833/- (Two Lakhs fifty Thousand Eight Hundred and Thirty Three only) payable in advance to make the E-toilets/I-toilet functional.

Hence the matter is placed before the Hon'ble FCPC for approval please.

  
Commissioner,  
MC Shimla


  
Corporation Health Officer  
MC Shimla.

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(7) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई। चर्चा के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि Water ATMs की फैसिंग की जाए, जो Water ATMs नहीं चल रहे हैं उन्हें चलाया जाए और अतिरिक्त महा-प्रबन्धक, जलापूर्ति, SJPNL, द्वारा सदन में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाए कि कितने Water ATMs चल रहे हैं और कितने नहीं चल रहे हैं।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उक्त मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त महाप्रबन्धक जल वितरण विभाग शि०ज०प्र०नि०लि० ने सदन को अवगत करवाया कि शिमला जल प्रबन्धन निगम लि० द्वारा नगर निगम के अन्तर्गत विभिन्न वार्डों में 35 ATM स्थापित किए गए हैं जिनमें से 24 सुचारू है तथा शेष 11 पर मुरम्मत कार्य किया जा रहा है दो सप्ताह के भीतर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।



नगर निगम शिमला की वित्त संविदा एवं योजना समिति की बैठक के विचार्य  
ज्ञापन।

3(8)

विभाग का नाम: सम्पदा शाखा।

विभागाध्यक्षका नाम: अतिरिक्त आयुक्त।

Regarding Permission to create charging infrastructure at  
M.C. Parking Tutikandi, Shimla.

उपरोक्त के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम लोकल यूनिट शिमला के पक्ष में पत्र संख्या ननिशि/अ.स./2019-1208 दिनांक 16.11.2019 द्वारा टूटीकण्डी मल्टी स्टोरी पार्किंग के साथ वाहन विद्युत चार्जिंग ढांचा स्थापित करने हेतु अस्थाई तौर पर अनापति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, किन्तु नगर निगम शिमला द्वारा उक्त पार्किंग भवन को पूर्णतया Auction उपरान्त उच्चतम बोलीदाता को आंबटित किया जा चुका है, तथा उक्त Auction उपरान्त हुये अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप अब उक्त स्थल पर वाहन विद्युत चार्जिंग ढांचा स्थापित करना उक्त Auction अनुबन्ध की अवहेलना होगी। इस संदर्भ में विभाग द्वारा सम्बन्धित विभाग को पत्र संख्या MCS/PD/TUTIKANDI PARKING/2021-1950-51 दिनांक 18.08.2021 को द्वारा उक्त जारी अनापति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है।

अतः मामला नगर निगम की माननीय वित्त संविदा एवं योजना समिति के समक्ष उपरोक्त बारे कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बारे विचार्य एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


  
आयुक्त

  
अतिरिक्त आयुक्त

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(8) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।



- 205 -

# MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC&PC MEETING

3(9)

NAME OF DEPARTMENT - (R&B) M.C. SHIMLA  
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

Subject:- Regarding approval of estimates of street lights under "Shimla Smart City Mission"

On the subject cited above, it is submitted that the estimates of new street light works have been received by M.C. Shimla from HPSEBL for various wards as per the demand of Hon'ble Councillors of respective wards. The execution of these works is very necessary to meet out the basic demand of general public residing in the periphery of M.C. Shimla. Now it has been decided to include these proposals under "Shimla Smart City Mission"/M.C. Head so that the estimated costs for these works are deposited with HPSEBL for further execution. The detail of these works is as follows:-

Sr. No.	Name of work	W. No.	Amount (Rs.)
1	Providing 5 No new street light fixtures on existing pole in ward No. 3 Lower Kaithu in Elect. Section Mythe under ESD, HPSEB, Idgah	3	147695
2	Providing 3 Nos new street light fixtures with new steel tubler poles 9mtr long at Cremation ground and 1 No. at Gawahi area near Rajeev Sharma Niwas in ward No. 4 Annadale in Elect. Section Mythe under ESD, HPSEB, Idgah	4	119090
3	Providing new street light point with pole in ward No. 10 Panjari area in ES Kamlahi under Electrical Sub. Division HPSEBL, Khalini	10	363325
4	Providing additional accessories for 25 Nos new proposed street light points/fixtures on the wall, existing pole and new proposed poles in different location at Slaughter House M.C. Qtr. 88 Nos. at Lal Pani under RAY Project in Bazar Section under ESD, HPSEBL, Ridge Shimla-1	13	311915
5	Providing additional accessories for 9 Nos new proposed street light points/fixtures on the wall, existing pole and new proposed poles in different location of Lower Bazar, Ganj Bazar and Sadar Thana area (9 Nos. point under ESD, Ridge & 3 Nos. under ESD, Chotta Shimla) in Elect. Section Subzi Mandi under ESD, Ridge Shimla-1	14	106590
6	Providing additional accessories for 3 Nos new proposed street light points/fixtures on the wall, existing pole and new proposed poles in different location of Metropole and Near High Court area (3 Nos. point under ESD, Chotta Shimla & 9 Nos. under ESD, Ridge) in Elect. Section US Club under ESD, Chpotta Shimla-2	14	26825


S/Kandol

7	Providing new street light point with pole near Block No. 44 Luxmi Villa, Sector-4 New Shimla ward No. 32 in ES New Shimla under Electrical Sub Division HPSEBL, Khalini	32	32450
8	Providing 2 Nos new street light fixtures with pole in New Shimla ward No. 32 in ES New Shimla under Electrical Sub Division HPSEBL, Khalini	32	59925
9	Providing new street light point on road near Primary School, New Shimla in ES New Shimla under Electrical Sub Division HPSEBL, Khalini	32	366210
10	Estimate for shifting of 3 phase L.T. Line due to widening from 1 MVA Perimehal to Jiwnoo Colony road Kasumpti under ESD Kasumpti, HPSEBL Shimla for the year 2021-22	27	178900
		Total	1712925

The matter is thus placed before FC&PC for consideration and approvals:-

1. Approval of above estimates amounting to Rs. 17,12,925/- only
2. To deposit the estimated costs with HPSEBL for further execution of works and install LED lights on new poles through EESL.
3. To incur the expenditure under "Shimla Smart City Mission"/M.C. Head".

  
Commissioner,


  
Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(9) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई और यह भी निर्णय लिया गया कि वार्ड नं0-7 के बिजली का जो estimate छूट गया है उसे भी इस सूची में डाल दिया जाए साथ ही यह निर्णय लिया गया कि Shimla Smart City Mission के तहत Street Lights का एक बार ही estimate बनाकर लाया जाए।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उक्त मद पर चर्चा के दौरान श्री बिट्टू कुमार, मा0.पार्षद ने कहा कि मेरे वार्ड में सोलर लाईटें खराब हो चुकी हैं उन्हें ठीक करवाया जाए। श्री आनंद कौशल, मा0 पार्षद ने कहा कि हमारे वार्ड में बिजली विभाग से सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता नहीं है हमारे वार्ड में कनिष्ठ अभियन्ता को पद स्थापित किया जाए। बैठक में उपस्थित अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत विभाग ने सदन को अवगत करवया कि पोल की समस्या है। अगले माह से कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा और दिवाली से पहले सभी लाईटें ठीक कर दी जाएगी।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।



- 267 -

# MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC & PC MEETING

3(10)

NAME OF DEPARTMENT - (R&B) M.C. SHIMLA  
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer


Subject:- Construction of Ambulance road from Bells Institute Junga Road to Hemant Negi House in ward No. 26 Panthaghatti. R.D. 0/0 to 0/050)

On the subject cited above it is submitted that there is no facility of Ambulance road to said locality and public is facing inconvenience due to non-availability of Ambulance road. The councillor of area has desired to provide road facility. It is essential to construct Ambulance road in the larger public interest. Keeping in view the estimate amounting to Rs.19,77,400/- has been framed for the purpose.

The matter is thus placed before FC&PC for consideration and following approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs.19,77,400/- only
2. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in **Giriraj, e-tendering & two local dailies.**
3. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for signing the tender agreement and awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
4. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities and the quality of work will be ensured.
5. To incur the expenditure under "MC Head".


  
Commissioner,

  
Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(10) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।



268-

# MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC & PC MEETING

NAME OF DEPARTMENT - (R&B) M.C. SHIMLA  
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

3(11)

Subject:- Repair and Maintenance of Community center at Pateog in ward No. 31


In this connection, it is submitted that the condition of Halls of Community center is very bad & required the immediate repair. The condition of Kitchen is also not good & the painting work of the community center is also necessary. An estimate amounting to Rs.12,59,600/- only has been prepared for the subject cited work. It is essential to do this work in public interest as this community Hall is being operated by M.C. Shimla.

The matter is thus placed before FC & PC for consideration and following approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs.12,59,600/- only
2. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in **Giriraj, e-tendering & two local dailies.**
3. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for signing the tender agreement and awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
4. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities and the quality of work will be ensured.
5. To incur the expenditure under "MC Head".



Commissioner,




Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(11) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।



- 269 -

# MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC & PC MEETING

NAME OF DEPARTMENT - (R&B) M.C. SHIMLA  
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

3(12)

Subject:- Construction of Steel Car parking near M.C. park lower Dhalli in Ward No. 21 Mashobra under "AMRUT/MC Head".

It is submitted that there is no parking space in this area due to which the people of the area have to face a lot of inconveniences to park their vehicles. The Councillor and the public are demanding a facility of parking in the vicinity. It is pertinent to mention here that this parking will facilitate the residents of the area and the people use Car parking for their vehicles. Keeping in view, the estimate amounting to Rs.36,32,400/- only has been framed by taking the provision of Car parking.

The matter is thus placed before FC & PC for consideration and following approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs.36,32,400/- only
2. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in **Giriraj, e-tendering & two local dailies.**
3. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for signing the tender agreement and awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
4. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities and the quality of work will be ensured.
5. To incur the expenditure under "AMRUT/MC Head".


  
Commissioner,

  
Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(12) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।



270 -

# MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC & PC MEETING

NAME OF DEPARTMENT - (R&B) M.C. SHIMLA  
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

3 (13)


Subject:- Construction of Car parking at Dav Lodge in ward No. 10 Tutikandi Part-1 (SH:-P/L C.C. 1:5:10 with plum. 1:1.5:3 and Tor steel etc.)

It is submitted that there is no parking space in this area due to which the people of the area have to face a lot of inconveniences to park their vehicles. The Councillor and the public are demanding a facility of parking in the vicinity. It is pertinent to mention here that this parking will facilitate the residents of the area and the people use Car parking for their vehicles. Keeping in view, the estimate amounting to Rs.23,00,000/- only has been framed by taking the provision of Car parking.

The matter is thus placed before FC & PC for consideration and following approvals:-

6. Approval of above estimate amounting to Rs.23,00,000/- only
7. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in **Giriraj, e-tendering & two local dailies.**
8. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for signing the tender agreement and awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
9. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities and the quality of work will be ensured.
10. To incur the expenditure under "Shimla Smart City/MC Head".


  
Commissioner,

  
Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(13) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।



271

# MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC & PC MEETING

NAME OF DEPARTMENT - (R&B) M.C. SHIMLA  
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer


3(14)

Subject:- Construction of Steel Parking at Housing Board Colony Jakhu near Electric Transformer in ward No.17 (Benmore)


It is submitted that there is vacant land near Electric Transformer at Housing Board Colony Jakhu in ward No.17, Benmore. The Councillor and the public of the area are demanding to construct parking spaces on this land. It is pertinent to mention here that there is an acute shortage of space for parking of vehicles in the area. It will be better if M.C. Shimla is constructed steel parking on the aforesaid land for the convenience of public of the area. Keeping in view the estimate amounting to Rs.23,98,800/- has been framed for the purpose.

The matter is thus placed before FC & PC for consideration and following approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs.23,98,800/- only
2. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in Giriraj, e-tendering & two local dailies.
3. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for signing the tender agreement and awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
4. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities and the quality of work will be ensured.
5. To incur the expenditure under "Shimla Smart City Mission/MC Head".



Commissioner,




Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(14) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।



- 292 -

# MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC & PC MEETING

NAME OF DEPARTMENT - (R&B) M.C. SHIMLA  
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer


3(15)


Subject:- Construction of covered path road leading from ridge to Jakhoo Temple RD 0/0 to 0/1400 (SH:-C/O covered steel path between RD 1/100 to 1/050) in ward No. 16 (Phase 1)

An estimate amounting to Rs.25,00,000/- only has been prepared for the subject cited work. The Councillor and the public are demanding for Construction of covered Path and provided cobal stone flooring in public path leading to Jakhoo Temple. Said path blocked during heavy rain and public goes through said path face lot of inconvenience. It is essential to cover the path in phased manner in larger public interest.

The matter is thus placed before FC & PC for consideration and following approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs.25,00,000/- only
2. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in **Giriraj, e-tendering & two local dailies.**
3. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for signing the tender agreement and awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
4. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities and the quality of work will be ensured.
5. To incur the expenditure under "MC Head".


  
Commissioner,

  
Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(15) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।



# MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC & PC MEETING

NAME OF DEPARTMENT - (R&B) M.C. SHIMLA  
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

3(16)

Subject:- Balance work - Construction of Steel Car parking on existing Nallah near Prem Lal Sharma House in ward No.9 under AMRUT.


An estimate amounting to Rs.11,95,083/- only has been prepared for carrying out balance work of Steel Car parking near Prem Lal Sharma House in ward No.9 from the saving of original work sanctioned under AMRUT Mission for Rs.36,00,000/- only.

Earlier the original work was awarded to the L1 contractor for Rs.26,00,000/- only after calling tender. The contractor has completed the work for Rs.24,04,917/- only against this estimate of work. Accordingly, an amount of Rs.11,95,083/- has been saved from the sanctioned amount of the work. Now the estimate amounting to Rs.11,95,083/- only has been framed for completion of said project.

The matter is thus placed before FC & PC for consideration and following approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs.11,95,083/- only
2. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in **Giriraj, e-tendering & two local dailies.**
3. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for signing the tender agreement and awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
4. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities and the quality of work will be ensured.
5. To incur the expenditure from balance amount of original work under "AMRUT".


  
Commissioner,

  
Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(16) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।



- 274 -

# MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC & PC MEETING

3(17)

NAME OF DEPARTMENT - (R&B) M.C. SHIMLA  
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

Subject:- Construction of Community Centre near Capital Hotel (Sh:- Site development of Community Centre) in ward No.4

On the subject cited above it is submitted that there is a proposal to construct Community Centre near Capital Hotel in larger public interest. Some work of this building has already been started and now some more work is to be done. The Councillor of area has also given in writing to construct community centre at said place. The matter is thus placed before FC&PC for consideration and following approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs.15,36,000/- only
2. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in **Giriraj, e-tendering & two local dailies.**
3. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for signing the tender agreement and awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
4. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities and the quality of work will be ensured.
5. To incur the expenditure under "MC Head".

*M*

Commissioner,

*[Signature]*  
Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(17) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया।

*[Signature]*

- 275 -

नगर निगम शिमला की साधारण बैठक के विचारार्थ ज्ञापन:

3(18)

विभाग का नाम:-

सम्पदा शाखा


विभागाध्यक्ष का नाम:-


अतिरिक्त आयुक्त

नगर निगम शिमला की रोड साईड यू0एस0 कल्ब नजदीक लाल एण्ड सन्ज की पार्किंग की फीस के निर्धारण बारे।


उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा रोड साईड यू0एस0 कल्ब नजदीक लाल एण्ड सन्ज पार्किंग का आंबटन ड्रॉ एफ लॉट्स के माध्यम से किया गया है। इस पार्किंग में 28 वाहन पार्क करने की क्षमता है। इस पार्किंग में वाहन पार्क करने की फीस नगर निगम प्रस्ताव संख्या 3(8) दिनांक 28.11.2020 को 3000/- रुपये प्रति वाहन प्रति माह व 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त के हिसाब से तय किया गया था। नगर निगम शिमला द्वारा जिन वाहन मालिकों को वाहन पार्क करने की अनुमति प्रदान की गई है। उन द्वारा पार्किंग में आंबटित वाहन मालिकों के साथ अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम शिमला की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निगम शिमला में कर्मचारियों के अभाव के कारण उक्त पार्किंग में वाहन मालिक अपने स्तर पर अपना निजी कर्मचारी को पार्किंग के रख रखाव हेतु तैनात करेंगे। जिसकी दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि पार्किंग फीस जो पूर्व में 3000/- रू0 मासिक तय की गई थी, इसके स्थान पर अब 2500/- रू0 प्रतिवाहन के हिसाब से देय होगी, जिस पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अलग से देय होगा।

अतः उपरोक्तानुसार पार्किंग फीस राशि रू0 3000/- के स्थान पर 2500/- रू0 मासिक जनहित में निर्धारित करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने हेतु माननीय सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
आयुक्त

  
अतिरिक्त आयुक्त

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया।



276

"MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION AND APPROVAL OF MC HOUSE"

Name of Project: JNnURM

Head of Department: Project Director, Project Cell

3(19)


**Subject: Ex post facto recommendation for Capacity Building programme-cum-Exposure Visit to Municipal Corporation Gangtok, Sikkim from unutilized JNnURM funds.**

This is with reference to the subject cited above, it is informed that Rs 18.31 Lacs were received from Directorate of Urban Development for capacity building activities in Municipal Corporation Shimla in FY 2015-16 under JNnURM. Funds were left unutilized due to capacity building activities performed out of AMRUT Mission funds. In this regard, proposal for Capacity Building programme-cum-Exposure Visit to Municipal Corporation Gangtok, Sikkim on recommendation of elected representatives was prepared for utilization of unutilized JNnuRM funds amounting to **Rs 13.71 Lacs** in compliance to Director (UD) letter no. UD/CB/LOOSE/2014-2912-13 dated 10<sup>th</sup> May 2016 and UD-CB-loose/2014-20326 dated 19<sup>th</sup> September 2018.

The objective of this activity is to provide opportunity to the ULB & parastatal personnel and elected representatives to observe debate and analyse multi-sectoral urban management issues from Municipal Corporation Gangtok, Sikkim.

In this regard, Communication was made with State Govt. for granting approval of proposed Capacity Building programme-cum-Exposure Visit to Municipal Corporation Gangtok, Sikkim vide no. MCS/PD/AMRUT/2021-191-93 Dated 02.03.2021, MCS/PD/AMRUT/2021-1588-90 Dated 29.07.2021 and MCS/PD/AMRUT/2021-1701 Dated 03.08.2021 against which **in-principle** approval was granted by State Govt. vide letter no. UD-B/7-2021 Dated 07/08/2021.

On basis the in principle approval received, Committee was constituted by Commissioner, Municipal Corporation Shimla vide office order no. MCS/COMM/AMRUT/2021-1850-57 Dated 09.08.2021 for completion of codal formalities needed for proposed capacity building programme.




- 277 -


Meeting of constituted Committee members was held on 09.08.2021, In which respective councilors unanimously suggested that six day capacity building programme to Municipal Corporation Gangtok shall be conducted from 12.08.2021 to 17.08.2021 (Including traveling days).

Following necessary codal formalities, Capacity Building programme-cum-Exposure Visit to Municipal Corporation Gangtok, Sikkim was conducted w.e.f. 12.08.2021 to 17.08.2021 (Including traveling days) for 22 Councilors (20 Elected Representative and 2 Nominated Representatives) with two Officer/Officials.

In addition to this, details were submitted by Municipal Corporation Shimla in compliance to in principal approval received from State Govt. for seeking final approval vide letter no. MCS/PD/AMRUT/2021-1888-91 Dated 11.08.2021 along with list of participants, day wise schedule and Undertaking that no expenses will be made towards inadmissible components as per rules/regulations

Matter has been placed before Hon'ble MC House for ex post facto recommendation for Capacity Building programme-cum-Exposure Visit to Municipal Corporation Gangtok, Sikkim from unutilized JNnURM funds.

  
Additional Commissioner,  
Municipal Corporation Shimla

  
Project Director,  
Project Cell  
Municipal Corporation Shimla

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया।



नगर निगम शिमला की साधारण बैठक के हेतु ज्ञापन:

विभाग का नाम  
विभागाध्यक्ष

सम्पदा शाखा  
अतिरिक्त आयुक्त


3(20)


रिज पर स्थित राज्य पुस्तकालय भवन के जीर्णोद्धार व उपबोग वारे ।

विषयग मामले में अवगत करवाया जाता है कि नगर निगम शिमला का दो मंजिला भवन जिसमें राज्य पुस्तकालय चलाया जा रहा है मा जीर्णोद्धार करवाया जाना आवश्यक है । इस दो मंजिला भवन, जो कि इस ऐतिहासिम धरोहर की दीवारें, छत, लकड़ी आदि क्षतिग्रस्त हो चुकी है तथा अन्दर से शीघ्र मुरम्मत करवाना आवश्यक है क्योंकि मुरम्मत के आभाव में यह भवन खस्ताहाल हो चुका है । शीघ्र मुरम्मत न होने से भवन को और भी क्षति हो सकती है । इस विषय में यह भी अवगत करवाया जाया है कि यह भवन वर्ष 1987 में शिक्षा विभाग को पुस्तकालय चलाने हेतु दिया गया था तदोपरान्त इसमें राज्य पुस्तकालय चलाया जाता रहा और कभी भी इसकी मुरम्मत नहीं करवाई गई । वर्तमान में राज्य पुस्तकालय को हि0 प्र0 विधान सभा परिसर के समीप निर्मित पुस्तकालय भवन में स्थानात्रित किया जा चुका है ।


वर्तमान में रिज पर स्थित इस भवन की स्थिति जर्जर हालत वाली है इसकी छत की लकड़ी कई स्थानों पर या तो लटकी हुई है या तो गिर चुकी है, यदि इस भवन की मुरम्मत समय पर नहीं हुई तो यह भवन और क्षतिग्रस्त हो जाएगा । इस भवन की छत की लटकी हुई लकड़ीया निचे गिरने की स्थिति में जान माल की क्षति की सम्भावना है । इस भवन की मुरम्मत के लिए लगभग 2.25 करोड़ रु0 की आवश्यकता है तथा इस राशि का प्रावधान शिमला स्मार्ट सीटी मिशन से किया जा सकता है ।

अतः मामला नगर निगम शिमला की साधारण बैठक में अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है ।

  
आयुक्त

  
संयुक्त आयुक्त

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया ।



279

## Memorandum for the meeting of General House of MC Shimla

Head of Deptt: Corporation Health Officer  
Name of Deptt.: Health Department

3(21)


### Regarding release of payment:

The M/s Rakesh Enterprises Shimla has submitted the invoices 4118 dated - Regarding release of payment.22.08.2021 against work order No. MCS/CHO/2021-2566 dated 29/07/2021 regarding supply of Garbage Collection Bags (15000 Nos. Dry waste, Blue Colour & 15000 nos Wet waste, Green Colour) has been received in the store of Health Deptt M.C. Shimla and the entry has been made in the stock register on dated 22.08.2021, and total Expenditure/cost occurred is amounting to Rs. 13,80,000/- (**Thirteen lac, eighty thousand only.**)

Keeping in view of above, the memorandum is placed before the General House of MC Shimla for perusal and approval of payments amounting to Rs. 13,80,000/- (**Thirteen lac, eighty thousand only**) from the Head of Account 230-80-07 ( Health Sanitation Work) to the above supplier please.




Addl. Commissioner  
Municipal Corporation Shimla



Corporation Health Officer  
Municipal Corporation Shimla

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।



280

**Rakesh Enterprises**  
 Ram Bazar Shimla  
 GSTIN: 02ABLPP3413G1Z0  
 State Name : Himachal Pradesh, Code : 02  
 E-Mail : purirakeshenterprises@gmail.com

Invoice No. 4118 ✓	e-Way Bill No. 0134877181	Dated 22-Aug-2021
Delivery Note	Mode/Terms of Payment	
Supplier's Ref. 4118	Other Reference(s)	
Buyer's Order No.	Dated	
Despatch Document No.	Delivery Note Date	
Despatched through	Destination	
Bill of Lading/LR-RR No.	Motor Vehicle No. HP63C1015	
Terms of Delivery		

**Buyer**  
**CORPORATION HEALTH OFFICER**  
 MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA  
 State Name : Himachal Pradesh, Code : 02

R.  
 vid  
 again  
 Sr. No.  
 1  
 1  
 G  
 Garba  
 HSN  
 9932990  
 232990  
 12 S/K/L

Sr. No.	Description of Goods	HSN/SAC	GST Rate	Quantity	Rate	per	Amount
1	GARBAGE COLLECTION PP BAGS (WET WASTE GREEN COLOUR)	39232990	18 %	15,000 PC	44.07	PC	6,61,016.95
2	GARBAGE COLLECTION PP BAGS (DRY WASTE BLUE COLOUR)	39232990	18 %	15,000 PC	33.90	PC	5,08,474.58
							11,69,491.53
Less :							1,05,254.24
							1,05,254.24
							(-)-0.01
OUTPUT CGST@9% OUTPUT CGST@9% Round Off							
				Total		30,000 PC	₹ 13,80,000.00

*Bill Verified Rs 10,50,000/-*

*Rakesh*  
 Corporation Health Officer  
 M.C. Shimla

ST-2 Pages - 091

Amount Chargeable (in words) : **INR Thirteen Lakh Eighty Thousand Only**  
 Total : 30,000 PC ₹ 13,80,000.00  
 E. & O.E

Taxable Value	Central Tax		State Tax		Total Tax Amount
	Rate	Amount	Rate	Amount	
11,69,491.53	9%	1,05,254.24	9%	1,05,254.24	2,10,508.48
<b>Total:</b> 11,69,491.53		1,05,254.24		1,05,254.24	2,10,508.48

Tax Amount (in words) : **INR Two Lakh Ten Thousand Five Hundred Eight and Forty Eight paise Only**

Company's PAN : **ABLPP3413G**  
 Company's Bank Details  
 Bank Name : **STATE BANK OF INDIA**  
 A/c No. : **10636143968**  
 Branch & FS Code : **ANAJ MANDI SHIMLA & SBIN0016729**

We declare that this invoice shows the actual price of the goods described and that all particulars are true and correct.

for Rakesh Enterprises  
**FOR RAKESH ENTERPRISES**  
 Authorized Signatory  
*[Signature]*  
**PROPRIETOR**

This is a Computer Generated Invoice

1001

Bank :

- 281 -

**"MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION AND APPROVAL OF MC HOUSE"**

Name of Department: Estate Branch

Head of Department: Additional Commissioner

3(22)

**Subject: Consideration of agreement shared by Sunfuel Electric Private Limited regarding Commercial Proposal of "Build & Operate Public EV Charging Stations for MC Shimla".**

This is with reference to the subject cited above and letter from Sunfuel Electric Private Limited received on 16-7-2021. As part of electrical mobility Mission 2020, Department of Heavy Industry (DHI), Govt. of India has formulated a scheme namely Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid Electrical Vehicles in India (FAME-India). The objective of the scheme is to promote electrical mobility through development of Technology of Hybrid & Electrical Vehicles (EVs) and Charging Infrastructures. It is also submitted that currently electrical buses are being operated by HRTC in Shimla. Furthermore the demand for electric vehicles is expected to increase in view of support for the E-vehicle sector by Govt. of India through FAME. The charging stations will be required for charging these electrical vehicles. Sunfuel Electric Private Limited is a start-up company from New Delhi, planning to create high-quality products and innovative services to help average car buyer to gain confidence to buy electric cars.


In this regard, the company has shared a commercial proposal for setting up charging stations for electric vehicles in Shimla. These charging stations will be installed free of cost by the company. The customer will be charged government prescribed rates only. The company 'Sunfuel' will pay all taxes and charges as levied by the Municipal Corporation applicable to outdoor advertising to the government. Sunfuel Electric Private Limited has requested for space to install two charging station units at Chaura Maidan near parking by Cecil Hotel.

The matter is submitted before Hon'ble MC House for the perusal and consideration:

  
Commissioner  
Municipal Corporation Shimla

  
Additional Commissioner,  
Municipal Corporation Shimla

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया।



नगर निगम शिमला की साधारण बैठक के विचारार्थ ज्ञापन ।

3(23)

विभाग का नाम : सामान्य विभाग  
विभागाध्यक्ष : अतिरिक्त आयुक्त

सरस्वती विद्या मन्दिर ढली स्कूल भवन व स्कूल प्रयोग हेतु भूमि बारे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बारे ।

प्रबन्धक, सरस्वती विद्या मन्दिर ढली, शिमला से पत्र दिनांक 19.11.2018, 18.12.2018, 13.02.2020, 06.01.2021, 13.01.2021, 06.03.2021 व 21.08.2021 प्राप्त हुए हैं, जिनमें नगर निगम शिमला से मोहाल ढली द्वितीय, शिमला ग्रामीण, शिमला में खसरा नम्बर 1136 कुल रक्वा 16098-94 जाये सरकार में से खसरा नम्बर 1136/1 रक्वा 320-62 वर्ग मीटर भूमि सरस्वती विद्या मन्दिर स्कूल ढली, शिमला के स्कूल भवन व स्कूल प्रयोग हेतु नगर निगम शिमला से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया है । राजस्व अभिलेख के अनुसार उक्त भूमि की किस्म जाये सरकार है तथा सम्बन्धित भू-भाग नगर निगम शिमला की परिधि में आता है और मालिक सरकार हिमाचल प्रदेश व कब्जा नगर निगम शिमला दर्ज है ।


हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 157(a) के प्रावधानानुसार "आयुक्त, अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन गठित स्थाई समिति के पूर्व अनुमोदन से निगम से सम्बन्धित चल या अचल सम्पतियों का, सिवाय ऐसी चल या अचल सम्पतियों के जो लोक उपयोगिता के लिए सरकारी विभागों, बोर्डों या निगमों को पट्टे पर या अन्यथा दी जानी है, सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय, पट्टे पर या अन्यथा निपटान कर सकेगा।"

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मोहाल ढली द्वितीय, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला में खसरा नं 1136/1 रक्वा 320-62 वर्ग मीटर की भूमि प्रबन्धक, सरस्वती विद्या मन्दिर ढली, शिमला के पक्ष में स्कूल भवन व स्कूल प्रयोग के लिए नगर निगम शिमला की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बारे मामला नगर निगम शिमला की साधारण बैठक के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

  
आयुक्त

  
अतिरिक्त आयुक्त

उक्त मद पर चर्चा के दौरान श्री दिवाकर देव शर्मा, मा0 पार्षद ने कहा कि इस मामले में Lease money ली जाए । श्रीमती सिमी नंदा, मा0 पार्षद ने कहा कि यह मामला वित्त संविदा एवं योजना समिति की बैठक में लाया जाए । दोनो मा0 पार्षदों ने इस मामले में अपना विरोध दर्ज करवाया । विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि यह मामला सरकार को भेजा जाए ।



- 283 -

## MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF MC HOUSE

NAME OF DEPARTMENT - (R&B) M.C. SHIMLA  
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

3 (24)

Subject:- Construction of Car parking opposite Rani Ground Kasumpti Shimla in ward No.27 under AMRUT.

It is submitted that the tender for said work was awarded to contractor for Rs.13,88,521/- only after completing all codal formalities. Accordingly the work was executed at site. An expenditure of Rs.13,88,521/- has been incurred for this work from the sanctioned amount i.e. Rs.20.00 lacs under AMRUT. Now the Hon'ble Councillor of the ward has desired to spend the balance amount from sanctioned amount to develop the area alongside this parking. M.C. Shimla has to utilise the sanctioned amount under AMRUT upto 31.03.2022, so it is proposed to utilise the balance amount i.e. Rs.6,11,479/- to develop the area alongside this parking. Accordingly, the revised estimate amounting to Rs.20,00,000/- only has been framed to develop the aforesaid area.


The matter is thus placed before MC House for consideration and following approvals:-

1. To accord approval for the above mentioned revised estimate amounting to Rs.20.00 lacs for development of area alongside the parking and to accord approval of deviation from the awarded amount i.e. Rs.13,88,521/- only.
2. To accord approval for execution of work through same contractor against the original tender agreement.
3. To authorise the Executive Engineer, R&B, M.C. Shimla for making payment to the contractor for work done upto the revised estimate amount i.e. Rs.20.00 lacs only.
4. To incur the expenditure from balance amount of the work under "AMRUT".

  
Commissioner,

  
Head of Department

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।



नगर निगम शिमला की साधारण बैठक के विचारार्थ ज्ञापन।

3(25)


विभाग का नाम:- सम्पदा शाखा।

विभागाध्यक्ष:- अतिरिक्त आयुक्त।

सामुदायिक भवन खलिनी शिमला में आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा डाकघर के लिए अस्थाई तौर पर स्थान उपलब्ध करवाने बारे।

उपरोक्त के सन्दर्भ माननीय पार्षद वार्ड नं० 33, खलिनी शिमला से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा अवगत करवाया गया है कि वर्तमान में आंगनवाड़ी केन्द्र खलिनी जिस भवन में चल रहा है उसकी हालात बहुत ही नाजुक है जिसके परिणामस्वरूप उन्होने सामुदायिक भवन खलिनी में आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए स्थान उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त उक्त सामुदायिक केन्द्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा डाकघर के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाने आग्रह किया गया है।

उक्त के सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि सामुदायिक केन्द्र खलिनी की बेसमैन्ट फ्लोर में वर्तमान में एक कमरा एक कीचन व बरामदा है जिसका कुल क्षेत्रफल 44.77 वर्ग मीटर है, सब-बेसमैन्ट में हाल जिसका कुल क्षेत्रफल 47.40 वर्ग मीटर है, में शिमला जल प्रबन्धन निगम लि० का पानी कर बिलिंग विंग, पार्किंग मंजिल, प्रथम मंजिल जिसका कुल क्षेत्रफल 43.80 वर्ग मीटर है, में हैल्प एज इंडिया तथा एटिक मंजिल जिसमें तीन कमरे हैं में पार्षद कार्यालय तथा कनि० अभियन्ता मार्ग एवं भवन विभाग का कार्यालय है। एटिक फ्लोर में पहला कमरा 14.40 वर्ग मीटर, दूसरा कमरा 15.36 वर्ग मीटर तथा तीसरा कमरा 11.34 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के हैं। सम्बन्धित कनि० अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार बेसमैन्ट मंजिल में इस समय चौकीदार रखा गया है तथा सब-बेसमैन्ट में पानी का बिलिंग स्टॉफ बैठता है उन्हें खाली करवा कर बेसमैन्ट मंजिल में आंगनवाड़ी केन्द्र तथा सब-बेसमैन्ट मंजिल में बने हाल में



- 285 -


पार्टीशन करके डाकघर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अस्थाई तौर पर स्थान उपलब्ध करवाया जा सकता है।

उपरोक्त उपलब्ध करवाए जाने वाले कमरों के किराए की प्रस्तावना निम्न प्रकार से है:-

क.सं.	विभाग का नाम	ऐरिया (वर्ग फुट)	प्रस्तावित किराया प्रतिमाह
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (बेसमेंट फ्लोर)	481.72	रु0 10598/-
2	डाकघर (सब-बेसमेंट में हॉल का आधा भाग)	255.00	रु0 5610/-
3	आंगनवाड़ी केन्द्र (सब-बेसमेंट में हॉल का आधा भाग)	255.00	रु0 5610/-


उपरोक्त प्रस्तावित किराए पर प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुरूप 18% GST अतिरिक्त देय होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मामला नगर निगम शिमला की साधारण बैठक के बिचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
आयुक्त।

  
अतिरिक्त आयुक्त।

विचार-विमर्श उपरान्त मदन द्वारा अस्थाई (temporary) तौर पर उक्त विभागीय प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया।



नगर निगम शिमला की साधारण बैठक के विचारार्थ ज्ञापन।

विभाग का नाम:- सम्पदा शाखा।

विभागाध्यक्ष:- अतिरिक्त आयुक्त।

3 (26)

नगर निगम शिमला के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में संचालित सामुदायिक केन्द्रों के किराये के निर्धारण बारे।

उपरोक्त मामले में अवगत करवाया जाता है कि नगर निगम शिमला की परीधि में विभिन्न स्थानों पर निर्मित सामुदायिक भवनों का संचालन नगर निगम शिमला द्वारा किया जा रहा है। सामुदायिक भवनों में स्थानीय लोगों की सुविधा हेतु शादी एवं अन्य समारोह के लिए आरक्षित किया जाता है। नगर निगम शिमला द्वारा समरहिल कृष्णा नगर में नए सामुदायिक भवनों का निर्माण किया गया है जिसे अब लोगों की सुविधा के लिए आने वाले आवेदनों के अनुरूप समारोह आयोजन हेतु अनुमति प्रदान की जानी है जिसकी नई दरें तय की जानी है। इन सामुदायिक भवनों से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की अपेक्षा जो वर्तमान में चार्जिज लिए जा रहे हैं वे सामुदायिक भवन के रख-रखाव की अपेक्षा बहुत कम है। नगर निगम शिमला के प्रस्ताव संख्या 2(14) दिनांक 18/2/2014 को माननीय निगम सदन द्वारा भिन्न-भिन्न सामुदायिक भवनों की भिन्न-भिन्न दरें निर्धारित की थी परन्तु उसके उपरान्त उक्त सामुदायिक केन्द्रों की दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है जबकि सामुदायिक केन्द्रों की मुरम्मत, रख-रखाव व साफ-सफाई के सामान की अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है तथा इन सामुदायिक केन्द्रों में रख-रखाव हेतु तैनात कर्मचारियों को देय वेतन का भुगतान भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

• नगर निगम शिमला द्वारा वर्तमान में ली जा रही दरों तथा प्रस्तावित दरों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क.सं.	सामुदायिक भवन का नाम व क्षेत्र।	वर्तमान दरें। (प्रतिदिन प्रति हाल)	प्रस्तावित दरें। (प्रतिदिन प्रति हाल)
1	सामुदायिक केन्द्र न्यू शिमला:-		
	2 हॉल	रु0 6000/-	रु0 15000/-
	2 डबल बैड रुम सैट	रु0 500/-/सैट	रु0 1000/-/सैट
	2 डोर मैट्री (8+8)	रु0 100/- प्रति बैड	रु0 200/-प्रति बैड
	एक लॉन	रु0 4000/-	रु0 7000/-
	बिजली चार्जिज	रु0 700/-	रु0 1000/-
	बिजली चार्जिज (लॉन)	रु0 100/-	रु0 200/-
	सेवा कर अतिरिक्त	18 %	18%
	प्रतिभूति राशि (हॉल)	रु0 6000/-	रु0 8000/-

S/Condal

	प्रतिभूति राशि (लॉन)	रु0 4000/-	रु0 6000/-
	प्रतिभूति राशि (कमरा)	रु0 500/-	रु0 1000/-
2.	सामुदायिक केन्द्र कैथू:- 1 हॉल (बिजली व पानी के चार्जिज सहित) प्रतिभूति राशि। सेवा कर अतिरिक्त।	रु0 4000/-  रु0 4000/- 18 %	रु0 10000/-  रु0 7000/- 18 %
3.	सामुदायिक केन्द्र ढली:- 1 हॉल कमरे। बिजली चार्जिज (हॉल) बिजली चार्जिज (कमरे) यदि हॉल की बुकिंग न हो। प्रतिभूति राशि (हॉल) प्रतिभूति राशि (कमरे) सेवा कर अतिरिक्त।	रु0 6000/- रु0 600/- प्रति कमरा रु0 1000/- प्रतिदिन रु0 150/-/दिन प्रति कमरा रु0 6000/- रु0 600/- 18 %	रु0 11000/- रु0 1000/-प्रति कमरा रु0 1500/-प्रतिदिन रु0 300/-/दिन प्रति कमरा रु0 8000/- रु0 1000/- 18%

उपरोक्त कम संख्या: 3 पर अंकित सामुदायिक केन्द्र ढली का आबंटन अस्थाई तौर पर निदेशक, शिक्षा विभाग को एक वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक पाठशाला के संचालन हेतू तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला शहरी को आंगनवाड़ी केन्द्र के संचालन हेतू राशि रु0 3000/-प्रतिमाह एवं GST अतिरिक्त की दर से आबंटित किया गया है। उक्त में शिक्षा विभाग को आबंटित एकोमोडेशन के किराया निर्धारण का मामला अभी विचाराधीन है।

उपरोक्त सामुदायिक केन्द्र के अतिरिक्त राजीव आवास योजना के अन्तर्गत कृष्णानगर में एक चार मंजिला भवन निर्मित किया गया है, जिसमें सम्बन्धित कनि० अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुरूप तृतीय मंजिल में सामुदायिक हॉल व रसोईघर बनाया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल 138.63 वर्ग मीटर है। यहां यह अवगत करवाना भी उचित होगा कि उक्त सामुदायिक केन्द्र को खुली बोली द्वारा आबंटन करने हेतू मामला वित संविदा एवं योजना समिति के माध्यम से नगर निगम सदन सम्मुख प्रस्तुत किया गया था, जिस पर माननीय नगर निगम सदन के प्रस्ताव संख्या: 3(1) दिनांक 28.06.21 (प्रति संलग्न) द्वारा समिति की सिफारिशों को अनुमोदित करते हुए खुली बोली हेतू बेस प्राईस राशि रु0 25000/- किये जाने का निर्णय लिया गया। क्योंकि खुली बोली द्वारा सामुदायिक केन्द्र को एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाना है अतैव यदि उक्त सामुदायिक केन्द्र की खुली बोली द्वारा निविदाएँ आमंत्रित करने पर किसी भी बोलीदाता द्वारा भाग नहीं लिया जाता तो उस स्थिति में यदि उचित समझे

Standard

तो स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए उक्त सामुदायिक केन्द्र का किराया निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की प्रस्तावना की जाती है:-

क.सं.	सामुदायिक भवन का नाम व क्षेत्र।	वर्तमान दरें। (प्रतिदिन प्रति हाल)	प्रस्तावित दरें। (प्रतिदिन प्रति हाल)
1	सामुदायिक केन्द्र कृष्णानगर:- हॉल (किराया) प्रतिभूति राशि सेवा कर अतिरिक्त। बिजली व पानी के चार्जिज	नया	रु0 15000/- प्रतिदिन रु0 8000/- 18 % रु0 1500/- प्रतिदिन

यहां यह भी अवगत करवाया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट के अन्तर्गत एक सामुदायिक केन्द्र समरहिल, शिमला में भी निर्मित किया गया है, जिसमें धरातल मंजिल में पार्किंग, प्रथम मंजिल में हॉल, द्वितीय मंजिल में हॉल, किचन, स्टोर व ओपन टैरेस तथा ऐटिक में दो कमरे लॉबी तथा ओपन टैरेस है। उक्त सामुदायिक केन्द्र का किराया निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की प्रस्तावना की जाती है:-

क.सं.	सामुदायिक भवन का नाम व क्षेत्र।	वर्तमान दरें। (प्रतिदिन प्रति हाल)	प्रस्तावित दरें। (प्रतिदिन प्रति हाल)
1	सामुदायिक केन्द्र समरहिल:- 2 हॉल व ऐटिक के कमरों सहित (किराया) प्रतिभूति राशि सेवा कर अतिरिक्त। बिजली व पानी के चार्जिज	नया	रु0 30000/- प्रतिदिन रु0 10000/- 18 % रु0 2000/- प्रतिदिन

अतः मामला उपरोक्तानुसार माननीय सदन सम्मुख अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

आयुक्त।

अतिरिक्त आयुक्त।

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना पर निर्णय लिया गया कि सामुदायिक भवनों की जो वर्तमान दरें हैं लम्बे समय से बढ़ाई नहीं गई है तथा उनमें 30% की वृद्धि की जाए, सामुदायिक केन्द्र समरहिल को Lease पर दिया जाए और यह भी निर्णय लिया गया कि हॉल के साथ पार्किंग include होगी ऐटिक include नहीं होगा इन सामुदायिक भवनों के किराए की भविष्य में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि की जाएगी। सामुदायिक केन्द्र कृष्णानगर के किराए बारे पुनः अवलोकन किया जाए।

Scandal

# शिमला नगर निगम

नगर निगम प्रस्ताव नं०

3(1)

साधारण बैठक नं०

11/2

दिनांक 28-6-2021

को प्रतिलिपि ।

नगर निगम शिमला की वित्त सविदा एवं योजना समिति की बैठक के विचार्य  
ज्ञापन।

3(1)

विभाग का नाम:

सम्पदा शाखा।

विभागाध्यक्ष का नाम:

सयुक्त आयुक्त।

नव निर्मित सामुदायिक भवन कृष्णानगर को खुली बोली द्वारा आबंध करने के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा कृष्णा नगर में रजीव आवास योजना (RAY) के तहत नगर निगम द्वारा सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। जिसमें आठ पाठ के लोगों के लिए विवाह एवं अन्य समारोह इत्यादि आयोजित करने की सुविधा होगी। सम्बन्धित क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दी गई नब्जिलो चार की सूचि सत्य सत्यांन है। नव निर्मित सामुदायिक भवन का कुल क्षेत्रफल 1492 वर्गफुट है। नगर निगम शिमला द्वारा इस क्षेत्र का 22/- रुपये प्रतिवर्ग फुट की दर से दर निर्धारित की गई है। निर्धारित की गई दर के हिसाब से 32824/- प्रतिमाह बनती है, व. वार्षिक 393888/- रु० बनता है। जिसमें ब्याज व कर 18% अतिरिक्त देय है। नव निर्मित सामुदायिक भवन को चलाने के लिए नगर निगम शिमला के पास प्रयाप्त कर्मचारी न होने के कारण उक्त सामुदायिक भवन को यदि उपरि समझे तो खुली बोली द्वारा नीलाम करने की प्रस्तावना की जाती है। नगर निगम शिमला की त्रितिय स्थिति के मध्य नजर रखते हुये सामुदायिक भवन को खुली बोली द्वारा आबंध करने व नगर निगम शिमला द्वारा निर्धारित की गई दरों के हिसाब से उपरोक्त राशि पर विचार्य नामला प्रस्तुत है। यहाँ यह भी ध्यान में लाया जाता है कि सामुदायिक भवन के बाउंड प्लोर पुरे में आंगनवाडी केन्द्र व फुट प्लोर के एक कमरे में सम्बन्धित क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ता का कार्यालय, व दूसरे प्लोर में संर्भा क्षेत्र के मा० पावर्ड द्वारा एक कमरे में कार्यालय खोल दिया गया है

Stcardel

2

मुख्य कार्यालय पत्र संख्या - 22बी

# शिमला नगर निगम

निगम प्रस्ताव नं० 3011 साधारण बैठक नं० 290  
28-6-2021 को प्रतिलिपि।

अतः ज्ञापन नगर निगम की वित्त संविदा एवं योजना समिति की बैठक के समुच्च विचारार्थ प्रस्तुत है।

W  
आयुक्त

Handwritten signature  
संयुक्त आयुक्त

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(1) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना को इस आधार पर अनुमोदित किया गया कि इस मामले बारे सम्बन्धित पार्षद की भी सहमति ली जाए।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उक्त मद पर चर्चा के दौरान श्री बिट्टू कुमार, मा0 पार्षद ने कहा कि सामुदायिक भवन कृष्णानगर को खुली बोली द्वारा अभी आबंटित न किया जाए इसके लिए पहले दरे सुनिश्चित की जाए और इस मामले में मा0 पार्षद ने अपना विरोध दर्ज करवाया। श्री मुनील धर, मा0 पार्षद ने कहा कि कैथू में चुर्गी खाने के साथ एक सामुदायिक भवन बना हुआ है इसे पुलिस वालों को किस आधार पर दिया गया है। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि इस मामले को examine कर लिया जाएगा। विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त समिति की सिफारिश को इस आधार पर अनुमोदित किया गया कि Base price 25000/- किया जाए।

Handwritten signature  
Comm  
Principal Corpor  
Shimla

Handwritten signature: Spandal

- 291 -

# MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF HON'BLE MC HOUSE

Head of Deptt. Dr. Chetan Chauhan.  
Name of Deptt: Health Deptt.

3(27)


**Subject: Issue of NOC in the favour of M/S Elephant Energy Pvt. Ltd. Shimla to supply RDF (Refuse Derived Fuel) or MLP (Multi -Layer Plastic) from the Waste to Energy Plant through any third party for safe disposal.**

Municipal Corporation Shimla has set up a Waste to Energy Plant at Bharyal on PPP mode through M/S Elephant Energy Pvt. Ltd. (EEPL) Shimla. The plant is based on Gasification Technology through RDF and presently no tipping fee is given to the said EEPL for processing the waste. The MSW transported to the plant is converted by the said Company into RDF for further use in the electricity generation. Since the commercial operation of plant is yet to be started for electricity generation, presently, the RDF so produced is transported to the nearby cement plant i.e. Ambuja Cement & Ultratech Cement), who are presently paying Rs. 500/- per ton of RDF to M/s EEPL. Many companies like NEPRA Resource Management Pvt Limited, GEM, Shri Shyam Packaging, Kanpur and Swachh Sustainable solution etc. are requesting MC Shimla / EEPL to allow them to take RDF or MLP (Multi Layer Plastic) from the Waste to Energy plant to the cement industries for further safe disposal,.

Now, a proposal has been received from M/S Elephant Energy Pvt. Ltd. (EEPL), wherein they have requested to issue No Objection Certificate in favour of EEPL Shimla to supply RDF/MLP through any third party for further safe disposal as such Companies are ready to pay them Rs. 2000/- per ton of RDF for safe disposal. It is further submitted that a Waste Concession Agreement has been executed between MC Shimla and M/s EEPL on dated 29.03.2016. As per Clause 8.2.1 of the said agreement, the Concessionaire i.e. M/s EEPL is entitled to sell or dispose off any or all material delivered to the site and any other by-products, recyclables derived, fuel & electricity generated or produced from the plant arising out of processing of MSW and can further dispose off such products at such price and using selling arrangements as it may deem appropriate.


In view of the above mentioned facts, it is submitted that we may allow/authorize M/s EEPL to supply RDF through any third party for further safe disposal at their end with their sole responsibility for safe transportation till the is made fully operational and can be withdrawn by MC Shimla at any time. Further, this shall not have any implications on any of the Terms & Conditions of the existing agreement This shall help in better management of the waste to Energy plant

In view of the above, the matter is placed for the information, consideration and approval please.

  
Commissioner,  
MC Shimla

  
Corporation Health Officer,  
MC Shimla

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।



292

# MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF MC HOUSE MEETING

NAME OF DEPARTMENT – (R&B) M.C. SHIMLA

HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

3(28)

Subject:- Regarding acceptance of two tenders.

The tenders were called and opened for the below mentioned

works:-

Sr. No.	Name of work	Bidder Name	Amount (Rs.)	Bid Rank
1	C/O various path in ward No.24 (i) C/O path from Geeta Bhawan Sangti H.B.Colony (ii) C/O path from Sharma Niwas to Chauhan Niwas	Sh. Vinod Kumar Sh. Sandeep Kumar	558500.00 581046.00	L1 L2
2	C/O path leading to Baragon road to Bells institute via Chauhan Niwas in ward No.26 Panthaghati (SH:- P/L chequered tiles)	Sh. Mandeep Thakur Sh. Pradeep Singh	270794.00 435310.00	L1 L2
3	Channelization of nallah & path from road to Housing Board Colony to Prakash Bhawan at Strawberry Hill ward No.28 Chotta Shimla (SH:- C/O RCC nallah & path RD 0/0 to 0/50 mtr)	Sh. Bhavdeep Grovers Sh. Kuldeep Sharma	549885.12 583947.34	L1 L2
4	P/F M.S. tiles 8mm thick 9" dia from Nepta Niwas to Anji Bauri in ward No.29 Vikas Nagar	Sh. Bharat Singh Sh. Pradeep Singh	707200.00 800400.00	L1 L2
5	Improvement of Drainage System from Janaratha House to MBD House (RD 0/0 to 0/100.00 mtr) ward No.31	Sh. Inderjeet Singh Sh. Dhanveer Singh	357069.00 380925.00	L1 L2
6	Construction of foot over Bridge at Sanjauli Phase-2 (Balance work)	M/S Gurcharan Industries M/S Sarwan Industries	10129279.60 10180729.30	L1 L2

Only two tenders in each cases have been received for the above mentioned works. The name of the bidders/contractors who have quoted rates against these works is shown in column No.4. The Technical Evaluation Committee has evaluated each technical bids as per the approved eligibility/technical criteria and recommended for opening financial bids and obtaining approval of the M.C. House as per decision dated 31.01.2020.

- 293-

The matter is thus placed before FC&PC for consideration and following approvals:-

1. Ex-post facto approval for acceptance of two tenders in above mentioned works.
2. To authorise the Executive Engineer, R&B, M.C. Shimla to award the said works to the L1 contractor on lowest amount/negotiated amount and to make the payment within sanction amount after fulfilling all codal formalities.




Commissioner,



Head of Department

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।



294-

## MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF MC HOUSE

NAME OF DEPARTMENT – (R&B) M.C. SHIMLA  
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

3(29)

Subject:- Regarding acceptance of two tenders.

The tenders were called and opened for the below mentioned

works:-

Sr. No.	Name of work	Bidder Name	Amount (Rs.)	Bid Rank
1	Channelisation of nallah from Sisodia Building Naval Cottage to PWD road adjoining to Shiv Mandir Panthaghati in ward No 26 (SH Construction of RCC nallah RD 0 0 to 0 40 mtr)	Sh. Bharat Bhushan	287793.78	L1
		Sh. Dalip Singh	321946.20	L2
2	Chnnelisation of Nallah near Diamond Resturant (RD 0/0 to 0/070 mtr) in ward No.31 Pateog	Sh. Upanshu Chauhan	463713.90	L1
		Sh. Inderjeet Singh	484443.00	L2
3	C/O path from B. No.50A to Ranta Niwas ward No.32 New Shimla (SH:- C/O path & P/F M.S. Pipe railing etc.)	Sh. Dhanveer Singh	356159.70	L1
		Sh. Sanjeev Kumar	488678.00	L2
4	Restoration of rain damages (SH:- Repair of Nallah damaged due to heavy rains near Mahamaya Hotel) in ward No.14	Sh. Vinod Kumar Shah	1158854.00	L1
		Sh. Gian Singh	1249360.00	L2
5	Restoration of rain damages on path near Kedar House Jakha (SH:- R/wall & CC etc) in ward No.24	Sh. Vinod Kumar	468694.00	L1
		Sh. Sandeep Kumar	491386.50	L2
6	C/O path from Chauhan Niwas to Upper Sangti in ward No.24 (SH:- C/O R/R masonry and M.S. Channels railing etc.)	Sh. Hukam Singh	248175.30	L1
		Sh. Bhaw Singh Chauhan	277441.50	L2
7	Restoration of rain damages on path from Flowerdale to Below Malyana in ward No.25 at different RDs	Sh. Vinod Sharma	640185.00	L1
		Sh. Sandeep Kumar	656256.70	L2
9	C/O Park at Rani Ground Kasumpti (SH:- P/L C.C.1:2:4 interlocking tiles chequered tiles work etc.) ward No.27	1-Smt. Kalpna Devi	292951.00	L1
		2-Sh. Bhaw Singh Chauhan	331088.70	L2
10	R/M of drain from M.C. toilet to Lal Niwas via Ashiana Regency ward No.28 Chotta Shimla	1-Sh. Pradeep Singh	460700.00	L1
		2-Sh. Chander Mani	559600.00	L2
11	C/O Drain from Community Center to M.C. Shimla IPH Office ward No.31	1-Sh. Dhanveer Singh	345366.00	L1
		2-Sh. Jai Chand	356985.00	L2

Second


295-

Only two tenders in each cases have been received for the above mentioned works. The name of the bidders/contractors who have quoted rates against these works is shown in column No.4. The Technical Evaluation Committee has evaluated each technical bids as per the approved eligibility/technical criteria and recommended for opening financial bids and according ex-post facto approval of the M.C. House as per decision dated 31.01.2020.


The matter is thus placed before M.C. House for consideration and following approvals:-

1. Ex-post facto approval for acceptance of two tenders in above mentioned works.
2. To authorise the Executive Engineer, R&B, M.C. Shimla to award the said works to the L1 contractor on lowest amount/negotiated amount and to make the payment within sanction amount after fulfilling all codal formalities.

  
Commissioner,

  
Head of Department

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।



**MEMORANDUM FOR CONSIDERATION OF GENERAL HOUSE OF MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA**

Name of Department : General Department

Name of HoD : Addl. Commissioner


3 (30)


**Regarding adoption of the Himachal Pradesh Eligibility for Appointment to Class-III and IV posts, Rules, 2019.**

It is submitted that the Department of Personnel, Government of Himachal Pradesh vide notification No.Per(AP)-C-C(17)-2/2018 dated 19.11.2019 has notified the **"The Himachal Pradesh Eligibility for Appointment to Class-III and IV posts, Rules, 2019"** vide which the eligibility of a candidate for appointment to Class-III posts, if he/she has passed matriculation and 10+2 and for Class-IV posts, if he/she has passed middle or matriculation from any school/institution situated within the Himachal Pradesh has been determined within or outside the purview of Himachal Pradesh Public Service Commission Shimla, Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.


It is further submitted that these rules are also applicable to Government undertakings/Corporations/Boards/Autonomous Bodies etc. subject to adoption thereof. A copy of these Rules is annexed as Annexure-A.

Accordingly, the proposal is placed before the General House of the Municipal Corporation Shimla to adopt **"The Himachal Pradesh Eligibility for Appointment to Class-III and IV posts, Rules, 2019"** for recruitment to the Class-III and Class-IV posts in Municipal Corporation Shimla.

  
Commissioner

  
Addl. Commissioner

विचार-विमर्श उपरान्त सदन द्वारा उक्त विभागीय प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया।



297 -

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Per (AP)-C-C (17)-2/2018 dated 19<sup>th</sup> November, 2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh  
Department of Personnel (AP-III)

No. Per (AP)-C-C (17)-2/2018. Dated: Shimla-171002, 19<sup>th</sup> Nov. 2019

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to frame the following Rules to determine the eligibility for appointment to Class-III and Class IV posts within or outside the purview of the Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla, Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, as under:

Short title	1.	These rules may be called "The Himachal Pradesh Eligibility for Appointment to Class-III and Class-IV Posts, Rules, 2019."
Commencement and Effect.	2.	<p>1) These rules shall come into force with effect from the date of publication in the official Gazette (E-Gazette) H.P.</p> <p>(2) These rules may be read with Clause 7 of the Recruitment and Promotion Rules framed under article 309 of the Constitution of India in any Government Department for any Class-III and Class-IV posts.</p> <p>(3) These Rules shall also apply to other</p>

*[Handwritten signature]*

-- 2/-

*[Handwritten signature]*

		Government undertakings/Corporations/ Board/Autonomous Bodies etc. subject to adoption thereof.
Definitions	3.	In these Rules, unless the context otherwise requires:-  (a) "Constitution" means the Constitution of India; (b) "Governor" means the Governor of Himachal Pradesh; (c) "Government" means the Government of Himachal Pradesh. (d) "Bonafide Himachali" means a person, who has been defined as such by the Government of Himachal Pradesh from time to time.
Eligibility for recruitment.	4.	A candidate shall be eligible for appointment to Class-III post(s), if he/she has passed Matriculation and 10+2 and for Class-IV post(s), if he/she has passed Middle or Matriculation from any School/Institution situated within Himachal Pradesh:  Provided this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.

*J. B. Chahal*

By order,

(R.D. Dhiman)  
Additional Chief Secretary (Personnel)  
to the Govt. of Himachal Pradesh.

contd. at P/3


- 299 -

-3-

Endst.No.Per (AP) C-C (17)-2/2018-Dated: Shimla-2. 19<sup>th</sup> Nov. 2019


Copy to :-

- 1) All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2) All the Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
- 3) All the Heads of Departments in Himachal Pradesh
- 4) All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
- 5) The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla.
- 6) The Secretary, H.P. Staff Selection Commission Hamirpur.
- 7) Additional Legal Remembrancer-cum-Additional Secretary (Law-O) to the Govt. of Himachal Pradesh.
- 8) Joint Legal Remembrancer-cum-Joint Secretary (Law-Hindi) to the Govt. of Himachal Pradesh.
- 9) The Controller, Printing and Stationery, HP Government Press, Shimla-171005.
- 10) Spare copies 10.

  
(O.P./Bhandari)

Deputy Secretary (Personnel) to the  
Government of Himachal Pradesh

\*\*\*\*



प्रस्ताव संख्या 4(1)14

द्वारा:- श्रीमती रीटा ठाकुर, मा0 पार्षद

प्रस्ताव

जैसा कि विधित है कि वार्ड के साथ लगते पंचायत क्षेत्र में नगर निगम द्वारा जो पानी के कुनैक्शन दिए गए हैं उनकी वजह से नगर निगम एरिया में पानी की काफी दिक्कत रहती थी उसके चलते नगर निगम ने ढली टनल से वाया भट्टाकुफर बाजार होते हुए हिल ग्रोव स्कूल तक पानी की नई 6 ईंच की लाईन बिछाई गई है। पंचायत क्षेत्र में जो पानी के पुराने कुनैक्शन नगर निगम एरिए से दिए गये हैं उन्हें एक दम उसमें शिफ्ट करने के आदेश विभाग को दिए जाए ताकि नगर निगम के एरिया में पानी कर कोई दिक्कत न हो तथा जनहित में उन पंचायत के लोगों को भी पानी का कुनैक्शन दिया जाए जिनके घरों के नक्शे पास हैं।

अतः प्रस्ताव किया जाता है कि हिल ग्रोव स्कूल को जाने वाली नई बिछाई गई पानी की लाईन से पंचायत क्षेत्र को कुनैक्शन दिए जाए व उन घरों को भी कुनैक्शन दिए जाए जिनके घरों के नक्शे पास है।

हस्ता/-0

रीटा ठाकुर, पार्षद

मामला सदन सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्त प्रस्ताव श्रीमती रीटा ठाकुर, मा0 पार्षद ने प्रस्तुत किया जिसका समर्थन श्रीमती शारदा चौहान, मा0 पार्षद ने किया। अतः प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।



- 301 -

**Resolution No 4(2)15**

**By:- Smt. Simi Nanda, Councillor**

**Resolution**

The financial criteria for declaring a particular family as Below Poverty Line (BPL) was fixed about one and a half decade back i.e. in 2004, which is still in vogue. There has been tremendous increase in the cost of living, especially in urban areas. As a result of non revision of the criteria, the genuine claimants are being deprived of the benefit. Therefore, it would be appropriate that if a resolution is passed by this Hon'ble House making recommendations to the Government for enhancing the existing Income criteria for this purpose from Rs 35,000/- per annum to some reasonable extent, separately for poor families living in Rural and Urban areas.

Sd/-  
(Simi Nanda) Councillor

This matter is placed before the house for consideration.

उपरोक्त प्रस्ताव श्रीमती सिमी नंदा, मा0 पार्षद ने प्रस्तुत किया जिसका समर्थन श्री विवेक शर्मा, मा0 पार्षद ने किया और कहा कि जब तक सरकार से इस मामले में स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तब तक उसी प्रकार से BPL कार्ड बारे कार्यवाही होती रहनी चाहिए जैसे वर्तमान में हो रही है। अतः प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

*Simi Nanda*

प्रस्ताव संख्या 4(3)16

द्वारा:- श्री विवेक शर्मा, मा0 पार्षद

प्रस्ताव

वार्ड नं0-6 टुटू व वार्ड नं0-7 मझयाट व साथ लगते क्षेत्रों में मूलभूत सेवा मल निकासी परियोजना का पाईपें बिछाने का कार्य लगभग 70% हो चुका है किन्तु STP की व्यवस्था किन्हीं कारणों से अवरूद्ध है जिस कारण जनहित का यह महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न नहीं हो पा रहा। मौजूदा परिस्थितियों में उक्त कार्य की बाधाएं समाप्त करने हेतु सम्बन्धित विभाग जैसे पर्यावरण मंत्रालय, वन विभाग इत्यादि से पत्राचार किया जाना आवश्यक है जिससे वांछित अनुमति प्रदान हो और STP का निर्माण भरयाल कूड़ा सयंत्र के साथ वाली भूमि पर सम्भव हो सके। यदि उक्त कार्य हेतु कानूनी कार्यवाही भी उचित समझी जाए तो उसके लिए भी तैयारी की जाए।

हस्ता/-0

विवेक शर्मा, पार्षद

मामला सदन सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्त प्रस्ताव श्री विवेक शर्मा, मा0 पार्षद ने प्रस्तुत किया जिसका समर्थन श्री दिवाकर देव शर्मा, मा0 पार्षद ने किया। अतः प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

## प्वाईट ऑफ ऑर्डर

5(1) श्रीमती किरन बावा, मा0 पार्षद ने प्वाईट ऑफ ऑर्डर का मामला उठाते हुए कहा कि मेरे वार्ड में बालुगंज से चक्कर की ओर जो सड़क जाती है वहां से ही Yellow line Parking को हटाने के आदेश क्यों दिए गए हैं जबकि अन्य वार्डों में भी Yellow line Parking है। यह नगर निगम की सड़क है यहां से Yellow line Parking न हटाई जाए यहां से one way traffic किया जाए। यहां से जो Yellow line हटाई गई है उस स्थान पर स्थानिय लोगों के जो वाहन पार्क किए हैं उनके चालान न किए जाए। क्यों कि मेरे वार्ड में अभी पार्किंग की सुविधा नहीं है। अतिरिक्त आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट के कहने पर Yellow line मिटाई गई है। माननीय उच्च न्यायालय में लिखित में भी दिया गया है कि Yellow line शिकायत प्राप्त होने पर मिटाई भी जा सकती हैं। श्री राकेश कुमार शर्मा, मा0 पार्षद ने कहा कि मेरे वार्ड में भी इसी तरह की समस्या है वहां पर भी स्थानिय लोगों के ही चालान होते हैं। मेरे द्वारा उस स्थान पर वर्षाशालिका व शौचालय बनाने के लिए कहा गया था परन्तु अभी तक इस बारे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वर्षाशालिका व शौचालय वहां पर प्राथमिकता के आधार पर बनाए जाएं।

5(2) श्रीमती कुसुम सदरेट, मा0 पार्षद ने प्वाईट ऑफ ऑर्डर का मामला उठाते हुए कहा कि Gyms को Category-II में क्यों डाला गया है जबकि chemist shops में भी बहुत कम कूड़ा होता है इसलिए जब Gyms को राहत दी जा रही है उसी तरह सभी को राहत दी जाए। श्री दिवाकर देव शर्मा, श्री सुनील धर, श्रीमती किरन बावा, श्री आनंद कौशल, मा0 पार्षदों ने कहा कि सभी को राहत मिलनी चाहिए।

M  
आयुक्त,  
नगर निगम शिमला।

S. Candia

Continued vide resolution G.H.  
No. ... of Ordinary  
Meeting No. ... 8th ...  
held on 29.11.2011  
S. Candia  
CHAIRMAN